	OFFICE ORDER	Document No.: UPHDB./OO/ENG/01
	विषयः पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेशों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में ।	Revision No.: 00
		Effective Date: 1.4.2004
		Page 1 of 2

परिषद में पूर्व में निर्गत निम्न कार्यालय आदेशों को उनके अप्रसांगिक हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है ।

कम संख्या	पूर्व आदेश संख्या	कार्यालय आदेश का विषय
1	3872/एम–54/1 दिनांक 7.1.86	विकास कार्यो की 2.45 लाख प्रति एकड़ दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में ।
2	851/एम–20/1 दिनांक 14.3.90	विकास कार्यो की रु. 3.60 लाख प्रति एकड़ दर निर्धारण के सम्बन्ध में ।
3	3299/अभि0अनु0/23/एम–3 दिनांक 18.12.86	परिषद की योजनाओं के निर्माण कार्यो के साथ ही विकास कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश के सम्बन्ध में ।
4	9694. दिनांक 23.12.86	परिषद की इंदिरा नगर योजना में स्वंय वित्त पोषित भवनों के निर्माण हेतु दो खण्डों के लिए निर्माण लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु निर्माण निगम पद्वति पर कार्य के सम्बन्ध में ।
5	814/अ.आ.आ./पी.एस. दिनांक 30.12.86	ठेकेदारों के अनुबन्धों की समयवृद्वि के सम्बन्ध में ।
6	35/एम–2/2 दिनांक 8.1.87	परिषद की नवीन आवासीय येाजना में मुख्य रोड/भू–भाग की ओर से कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में ।
7	668/एम–2/9 दिनांक 23.2.87	पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
8	990/एम–2/22 दिनांक 27.3.87	विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
9	3157/एम–27/271 दिनांक 7.12.92	निविदाओं के आधार पर बी.ओ.क्यू. के सम्बन्ध में ।
10	247/एम–2/1 दिनांक 21.1.94	निविदा/कुटेशन के निस्तारण के सम्बन्ध में ।
11	345/एम–2/1 दिनांक 1.2.94	निविदा/कुटेशन के निस्तारण के सम्बन्ध में।
12	1053/एस–15/47 दिनांक 27.4.94	भवनों में डोर एवं विन्डो फिटिंग्स कय हेतु कय समिति ।
13	1366/एस–2/6 दिनांक 7.6.94	योजनाओं में विकास कार्यो के समायान्तर्गत पूर्ण करने एवं स्टाफ बैठक में भाग लेने के सम्बन्ध में ।
14	2086/एम–2/15 दिनांक 27.8.94	निविदा प्रपत्रों की विकय दरों के सम्बन्ध में ।
15	781/डी–5/12 दिनांक 30.12.94	परिकल्पना सम्बन्धी कार्य विभाजन के सम्बन्ध में ।

	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/ENG/20 UPHDB/PM/ENG/24	S.E.(P)	C.E	H.C

16	3317/एम–2/57 दिनांक 21.1.89	सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में ।
17	1943/एम–64 दिनांक 29.5.2001	योजनाओं में अतिकमण/अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में ।
18	915/एम–2/17 दिनांक 21.3.87	निविदायें स्वीकृत करने के अधिकारों के सम्बन्ध में ।
19	925/एम–2/18 दिनांक 21.3.87	ठेकेदारों के अनुबन्धों की समयवृद्वि के सम्बन्ध में।
20	3236/एम–2/48 दिनांक 10.9.87	ठेकेदारों के अनुबन्धों की समयवृद्वि के सम्बन्ध में।
21	205/एम–2/13 दिनांक 23.1.98	ठेकेदारों के अनुबन्धों की समयवृद्वि के सम्बन्ध में।
22	3329/एस–15/141 दिनांक 28.10.93	निष्प्रयोज्य सामग्रियों के सम्बन्ध में ।

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/02
	विषयः परिषद अभियन्ताओं को उ0 प्र0 लोक निर्माण में समकक्ष अभियन्ता को प्राप्त वित्तीय अधिकारं प्रदान किये जान के सम्बन्ध में	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page	1 of 1

शासनादेश संख्या ए–2/1602/दस–95–24 (14)/95 दिनांक 1.6.95 संख्या 2–717/दस–96–17(4)/85 दिनांक 24.4.96 द्वारा शासकीय विभागों में विद्यमान अधिकारों को संशोधित किया गया है। तद्नुसार परिषद के अभियंताओं को भी अनुलग्नक में उल्लिखित वही वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते है जो उ.प्र. लोक निर्माण विभाग में समकक्ष अभियन्ताओं को प्राप्त है। परिषद के संकल्प संख्या प्रथम/17/84 दिनांक 12.1.84 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार परिषद में कार्यरत विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं को भी वही वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकार प्राप्त होंगे जो परिषद के सिविल अभियन्ताओं को प्राप्त है, परन्तु विद्युतीकरण से संबंधित कार्यों के प्रस्ताव एवं डिजाइन इत्यादि का अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही अधीनस्थ विद्युत अभियन्ता प्रदत्त वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकारों का प्रयोग अपने अधिकार सीमा के अन्तर्गत करेंगे।

Related Process	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/ENG/20& 24 Previous Order No. 710/M-2 dated 26.2.1998	S.E.(P)	C.E.	H.C

संशोधित प्राधिकार

क.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाएं
1	2	3	4
1/2 ख	मुद्रण सम्बन्धी व्यय रू. 2.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के अल्पकालीन सूचना सम्पादित कराने के लिए निविदा सूचना स्थानीय पत्रों में देने हेतु।	अधिशासी अभियंता	किसी एक मामले में 500 रू. की सीमा तक किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो। टिप्पणी : सूचना निदेशक उ.प्र. द्वारा अनुमादित दो समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया जाय तथा उपरोक्त अधिकारी द्वारा बिलों का सत्यापन कराया जाय।
2/9	अग्रिम धनराशियाँ स्थायी अधीनस्थ और अस्थायी अथवा कार्य प्रभावित (वर्क चार्ज्ड) अधिष्ठान के सदस्यों को उक्त (इम्प्रेस्ट) स्वीकृत करना।	अधिशासी अभियंता	विभागीय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में 10,000रू. तक तथा अन्य मामलों में उस सीमा तक जो आवश्यक समझी जाय, किन्तु अधिकतम रु. 2,000 तक और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 पैरा –166 और 168 में दी हुयी शर्तो के अनुसार होगा।
3/7	भूमि तथा भवन भवनों के निर्माण के लिए चुने गये स्थानों पर स्थित हरे या सूखे वृक्षों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करना।	अधीक्षण अभियंता अधिशासी अभियन्ता	1. पूर्ण अधिकार। 2. रु. 10000.00 तक
4/क	निर्माण कार्य मूल निमार्ण कार्यों के लिए परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराना।	विभागाध्यक्ष	1. धार्मिक तथा पुरात्व सम्बन्धी भवनों तथा विद्यामान आवासिक भवनों में सूधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोड़कर किसी एक मामले में रु 15.00 लाख तक निम्नलिखित शर्तो के अधीन :– (1.) यह है कि आवासिक भवन शासन द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे

			सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं या समय–समय पर शासन द्वारा नियत की गयी क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और शर्त यह भी है कि निमार्ण कार्य तब तक प्रारम्भ नही किया जायेगा जब तक कि शासन द्वारा उसके व्यय की स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय 2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय फन्डामेन्टल रूल्स/ततसम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये और उसमें फिटिंग्स की माप सब्सीडियरी रूल्स के अनुसार होनी चाहिये।
			((3) अनुमान में स्थायी आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिये जो योजना के अनुरक्षण के लिए जब वह पूरी हो जाय, अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिए अनुमन्य हो। (4) ऐसे आवासिक भवन (स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे, जो लोक निर्माण की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अन्तर्गत न आती हों। 5) डाक बंगले/रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय अन्य डाक बंगलों से निकटता के सिद्वान्त का दृढ़ता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण के लिए शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (6) गाड़ियों के लिए (हल्की तथा भारी) दोनो प्रकार की व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित संख्या (स्केल) के अनुसार की जायेगी और कय के लिए आदेश देने से पहले उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी ।
		2 मुख्य अभियन्ता 3. अधी.अभि.	2– उपर्युक्त–1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू.2.00 करोड़–तक। 3. उपर्युक्त–1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू.1.00 करोड़ तक ।

Related Process	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/ENG/20& 24 Previous Order No. 710/M-2 Dated 26.2.1998	S.E.(P)	C.E	H.C

	निर्माण कार्यो के ब्योरेवार अनुमानों/अनुपूरक अनुमानों/पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1. मुख्य अभि. 2. अधी.अभि. 3. अधि. अभि.	1. पूर्ण अधिकार। 2. रू. 1.00 करोड़ की सीमा तक । 3. रू. 40.00 लाख की सीमा तक।
6/क	स्वीकृत मूल आगणन में हुए व्ययाधिक्य की स्वीकृति प्रदान करना।	1 अधि. अभि.. 2 अधी0 अभि0 3. मुख्य अभि. 4.आवास आयुक्त	5 प्रतिशत की सीमा तक । 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक। 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक 15 प्रतिशत से अधिक। उपर्यक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:– 1. व्ययाधिक्य अथवा अनुमानित वृद्धि केवल निर्माण सामग्री एवं श्रम के मूल्य से पूर्णतया सम्बन्धित हो। 2. व्ययाधिक्य के समायोजन के लिए बजट प्राविधान में जब उपलब्ध हो। 3. व्यसाधिक्य को केवल एक बार समायोजित करने का अधिकार होगा और यदि उसके बाद भी व्ययाधिक्य होता है तो उसके लिए शासन से संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6/ख	स्वयं उसके द्वारा अथवा उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति मूल अनुमान के ऊपर बढ़ती स्वीकृत करना।	1.अधि. अभि. 2. अधी. अभि.	5 प्रतिशत की सीमा तक 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक। 3. मुख्य अभि. 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक 4. आवास आयुक्त 15 प्रतिशत से अधिक। उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे। 1. स्वयं या उच्च अधिकारी द्वारा मूल स्वीकृत प्राक्कलन के ऊपर बढ़ती की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकेगी कि कुल

			अधिकता की धनराशि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के उनके अधिकार की सीमा तक है। 2. किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान की कोई बढ़ती धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार अधीनस्थ प्राधिकारी को न होगा। जब बढ़ती निर्माण की ऐसी उन्नत अवस्था में स्थिति हो, जिससे कि पुनरीक्षित अनुमान का प्रस्तुत करना प्रयोजन रहित हो जाता हो और बढ़ती का स्पष्टीकरण कार्य समाप्ति सूचना में (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 के प्रस्तर 398 के अधीन) कर दिया गया हो, कार्य समाप्ति सूचना पारित करने के उसके अधिकार, पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करने के उस अधिकारों के समरूप ही होंगे।
			टिप्पणी : 1. अधीक्षण अभियंता स्वीकृत मूल निर्माण कार्यों और मरम्मत पर रू 500 की सीमा के अन्दर अधिक व्यय भी स्वीकृत अनुमान की कुल धनराशि पर विचार किए बिना पारित कर सकता है (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 का प्रस्तर 398)। किसी अधीक्षण अभियंता या अधिशासी अभियंता को किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान से कोई भी अधिक धनराशि स्वीकृत करने का कोई अधिकार न होगा।
6/6	स्वीकृत अनुमानों में प्रासंगिक व्यय के लिये की गयी व्यवस्था को किसी ऐसे अतिरिक्त/नये कार्य का मरम्मत के व्यय को पूरा करने के लिए परिवर्तित करना जिसके लिए अनुमान में कोई व्यवस्था न की गयी हो।	1.अधी. अभि. 2. अधि. अभि.	1. पूर्ण अधिकार 2. रू. 25,000 की सीमा तक।
7/क	विशेष मरम्मतें	1. अधी.अभि. 2. अधि.अभि.	1. पूर्ण अधिकार। 2. प्रत्येक अनुमान के लिए 2.50 लाख रू. तक आवासिक भवनों के मामलों को छोड़कर।

Related Process	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/ENG/20& 24 Previous Order No. 710/M-2 Dated 26.2.1998	S.E.(P)	C.E	H.C

8/22	गैर आवासिक भवनों में से बिजली सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1.मुख्य अभि. 2. अधी. अभि. 3. आवास आयुक्त	1. रू. 1.50 लाख की सीमा तक। 2. रू. 50,000 की सीमा तक। 3. पूर्ण अधिकार।
9/30	निक्षेप कार्यों के निष्पादन की स्वीकृति प्रदान करना।	मुख्य अभि.	पूर्ण अधिकार, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 के पैरा 392 तथा 633 से तथा 636 तक में दी हुई प्रकिया अपनाई जाय।
10/2	ठेके और टेण्डर किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्डर स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभि. 2. अधी. अभि. 3. अधि. अभि. 4. सहा.. अभि.	1. पूर्ण अधिकार 2. पूर्ण अधिकार, परन्तु रु. 1.00 करोड़ से अधिक के कार्य में मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा । 3. रू. 40.00 लाख की सीमा तक । 4. रु. 2.00 लाख की सीमा तक
11/7	मूल मामलों और कार्य के समस्त मामलों में कार्य पूरा हो जाने पर ठेकेदारों को प्रतिभूति जमाओं की वापसी स्वीकृत करना।	2. सहा. अभि.	2. ऐसे मामलों में जहॉ कार्य की धनराशि ठेके स्वीकार करने के उनके अधिकारों से अधिक न हो,वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 के पैरा 618 के उपबन्धों के अधीन।
12/10	भण्डार और सामग्री औजारों और संयंत्र का कय और उनके लिये आवश्यक अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभि. 2. अधी. अभि. 3. अधि. अभि	1. पूर्ण अधिकार। 2. रू. 1.00 लाख की सीमा तक। 3. रू. 20,000 की सीमा तक।
13/15	निर्धारित माप (स्केल) के अनुसार तम्बुओं की खरीद और उसके लिए आवश्यक अनुमान (पुनरीक्षित अनुमान सहित) स्वीकृत करना।	1. अधी. अभि. 2. अधि. अभि.	1. पूर्ण अधिकार। 2.: रू. 10,00 की सीमा तक।
14/21	औजारों एवं संचय की मरम्मत और ढुलाई के लिए अनुमान स्वीकृत करना। आवश्यक अनुमोदन (पुनरीक्षित अनुमान सहित) स्वीकृत करना।	1. अधी. अभि. 2. अधि. अभि.	1. पूर्ण अधिकार । 2. रू. 10,000 की सीमा तक।

14/25 (क)	किसी भण्डार को सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित (फालतू घोषित करना तथा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उनका विकय स्वीकृत करना)।	1. प्रमुख अभि. 2.मुख्य अभि. 3. अधी. अभि. 4. अधि.अभि.	1. पूर्ण अधिकार। 2. रू. 5.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक। 3. रू. 50,000/– पुस्तक मूल्य तक। 4. रू. 5,000/–के पुस्तक मूल्य तक।
15/25 (ख)	किसी भण्डार को (सामग्री, औजार और संयंत्रा, स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) निष्प्रयोज्य घोषित करना।	1. प्रमुख अभि. 2. मुख्य अभि. 3. अधी. अभि. 4. अधि.अभि.	1. पूर्ण अधिकार। 2.. रू. 10.00 लाख तक के पुस्तक मूल्य तक। 3. रू. 1.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक। 4. रू. 10,000 के पुस्तक मूल्य तक।
	उपर्युक्त घोषित निष्प्रयोज्य भण्डार को सार्वजनिक नीलाम द्वारा विकय करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना स्वीकृत करना।	1.प्रमूख अभि. 2.मुख्य अभि. 3. अधी. अभि. 4. अधि. अभि.	1. पूर्ण अधिकार। 2. रू. 5.00 लाख के पुस्तक मूल्य तक। 3. रू. 50,000 के पुस्तक मूल्य तक। 4. रू. 5,000 के पुस्तक मूल्य तक। टिप्पणी : 1– अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति, जिसके सदस्य क्रमशः सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, जिले में तैनात वरिष्ठ सहायक अभियन्ता तथा जिला कोषाधिकारी होगें, के माध्यम से किया जायेगा । 2. कृत कार्यवाही की सूचना अधीक्षण अभियन्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर मुख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उ.प्र. को दी जायेगी। 3. कृत कार्यवाही की सूचना अधि. अभि. द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अधी. अभि. मूख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उ.प्र. को दी जायेगी। 4. इस सम्बन्ध में शासन के विद्युत निरीक्षक एवं परिवहन आयुक्त को पूर्व से प्रतिनिहित अधिकार, जिनका उल्लेख निम्नवत् है, यथावत् बने रहेंगें:–

			(1) शासन के विद्युत निरीक्षक रू.2000/–के पुस्तक मूल्य तक। (2) परिवाहन आयुक्त रु. 10000/– पुस्तक मूल्य तक
16/27	ऐसी सामग्री का (औजार और संयंत्र नहीं) जो फालतू नहीं हो और न ही निष्प्रयोज्य हो, पूर्ण मूल्य तथा लागत पर सामान्य पर्यवेक्षक शुल्क जोड़ कर अन्तर विभागीय स्थानान्तरण करना।	1. अधी. अभि. 2. अधि. अभि.	पूर्ण अधिकार। 2. किसी एक मामलें में रू. 10,000/–के पूस्तक मूल्य तक ।
17/35	स्वीकृत मात्रा से अधिक परिमाण में रेखण सर्वेक्षण (ड्राइंग सर्वेइंग) तथा गणितीय उपकरण (मैथमेटिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स) रखना।	1. मुख्य. अभि. 2. अधी. अभि.	1. पूर्ण अधिकार। 2. पूर्ण अधिकार, इस प्रतिबन्ध के साथ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मूख्य अभियन्ता को भेजी जाय।
	कार्यादेश कार्यादेश जारी करना एवं स्वीकृत करनेकी शक्तियों खण्डीय अधिकारी/उपखण्डीय अधिकारी/सहायक अभियन्ता को प्रतिनिहित करना।	अधिशासी अभियन्ता (खण्डीय अधिकारी) सहायक अभियन्ता)	परिसीमायें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 के परिनियम–1 में उल्लिखित सीमा रू. 10,000 से बढ़ाकर रू. 20,000/– एवं उल्लिखित टेण्डर स्वीकृत करने की शक्तियां खण्डीय अधिकारी द्वारा उपखण्डीय अधिकारी/ सहा. अभियन्ता को प्रतिनिहित करने की सीमा रू. 7500/– से बढ़ाकर रू. 10,000/– की स्वीकृति। शर्त :– रू. 10,000/– से अधिक के कार्यादेश में उपख्ण्डीय अधिकारी/सहायक अभियन्ता को पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। (शासनादेश 2–717/दस–96–17/141/85 दिनांक 24.4.96)

Related Process	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/ENG/20& 24 Previous Order No. 710/M-2 Dated 26.2.1998	S.E.(P)	C.E	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/03
	विषयः परिषद एवं डिपाजिट कार्यो के कियान्वयन हेतु निर्माण निगम कार्य प्रणाली अपनाने हेतु।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page 1 of 3	

परिषद द्वारा वर्तमान में अपनी योजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्यो के सम्पादन के साथ–साथ बड़े पैमाने पर डिपाजिट कार्यो का भी सम्पादन किया जा रहा है, जिन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है, अन्यथा सामान्य ठेकेदारी पद्धति से इन कार्यो का सम्पादन यदि निर्धारित समय अवधि में वांछित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं किया जा सकता तो भविष्य में परिषद को डिपाजिट कार्य मिलने तो बन्द हो ही जायेगें,साथ ही साथ परिषद की छबि भी धूमिल होगी।

उपरोक्त इंगित परिस्थितियों में परिषद की वर्तमान कार्य व्यवस्था में बिना आमूल परिवर्तन किये हुए ही, परिषद के निर्माण एवं विकास कार्यो को त्वरित गति से सम्पादित कराने तथा डिपाजिट कार्यो को समयबद्ध कार्यकम के अनुसार पूर्ण कराने हेतु निर्माण निगम कार्य कार्य व्यवस्था के आधार पर निम्न प्रस्ताव परिषद ने अपनी बैठक दिनांक ३/३/६२ के संकल्प सं०–१/(५३)/६२ द्वारा तथा बैठक दिनांक १७/१०/६२ के संकल्प संख्या–चतुर्थ/(५७)/६२ द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए अनुमोदित किया है।

१. परिषद की वर्तमान कार्य प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यो का सम्पादन संबंधित कार्यो का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर सक्षम अधिकारी द्वारा उनकी तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जा सकता है। यह व्यवस्था एक मंजिले छोटे भवनों के निर्माण हेतु तो व्यवहारिक है, परन्तु बहुमंजिले आवासीय भवनों, व्यवसायिक एवं कार्यालय भवनों तथा डिपाजिट कार्यो के सम्पादन हेतु व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि बहुमंजिले भवनों तथा डिपाजिट कार्यो से संबंधित सभी विस्तृत मानचित्र,विशिष्टियों एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन इत्यादि कार्य के प्रारम्भ में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं,जिससे सम्पूर्ण कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराने में काफी समय लग जाता है और इस बीच निर्माण सामग्रियों एवं लेबर इत्यादि की दरों में जो वृद्धि होती है,उससे परियोजना की लागत अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है।
अतः परिषद द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं में एक मंजिले भवनों को छोड़कर शेष बहुमंजिले आवासीय भवनों की परियोजनाओं,बड़ी व्यवसायिक परियोजनाओं एवं डिपाजिट कार्यो हेतु विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति विभिन्न स्तरो(पार्ट्स) में प्रदान करने की अनुमति दी जाती है चूंकि राजकीय निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल एवं फार्म्स–१९८ में इस प्रकार की स्वीकृति हेतु जनरल मैनेजर को अधिकृत किया गया है,अतः परिषद में इसके लिए अधीक्षण अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है। यह स्वीकृति निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल–१९८४ के चैप्टर–२ पैरा–४१,४२ एवं ४३ के प्राविधानों के आधार पर निर्गत की जायेगी।

२. परिषद द्वारा विकसित योजनाओं की सभी ट्रक सर्विसेज की परिकल्पनायें एवं विस्तृत प्राक्कलन सम्पूर्ण योजना के लिए अथवा जोनवार जेसे भी तकनीकी दृष्टि से उचित हो, तैयार किये जायें तथा इन सेवाओं के आन्तरिक विकास हेतु विभिन्न जन सुविधाओं के लिए सेक्टर आदि विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराये जायें तथा इनकी तकनीकी स्वीकृति संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत की जाये।

३. बिना निविदायें/कुटेशन आमंत्रित किये ही परिषद योजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु तथा परिषद द्वारा कराये जा रहे डिपाजिट कार्यो का सम्पादन विभागीय पद्धति से कराने हेतु निर्माण सामग्रियों एवं लेबर दरों की स्वीकृति राजकीय निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल–१९८४ के पैरा १० में प्राविधानों के अनुसार निर्माण निगम की परचेज कमेटी के अनुसार परिषद में दो अलग–अलग समितियां निम्नवत बनायी जाये।

Process No. UPHDB/PM/ENG/24 Prev. Order No. 3014/M-2/15 dt. 2-12-92	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

३.१ <u>लेबर दरों की स्वीकृति हेतु</u>

यह समिति निर्माण निगम में प्रचलित परचेज कमेटी की भॉति होगी, जिसके सदस्य निम्न होगें।

अ– संबंधित अधिशासी अभियन्तां

ब– खण्ड के मण्डलीय लेखाकार अथवा यदि मण्डलीय लेखोकार कार्यरत नहीं है तो खण्ड का वरिष्ठतम लेखाकर्मी।

स– खण्ड के वरिष्ठतम सहायक अभियन्ता अथवा अधिशासी अभियन्ता द्वारा नामित सहायक अभियन्ता

यह समिति विभिन्न श्रेणी के कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की दरों एवं इनके आधार पर विभिन्न निर्माणं एवं विकास कार्यो की मदों की दरों की गणना करके उनका निर्धारण करेगी। दरों के निर्धारण की प्रकिया निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल एवं इसके अध्यावधिक संशोधन में निर्धारित प्रकिया के आधार पर निर्धारित होगी।

३.२ <u>निर्माण सामग्रियों की दरों के निर्धारण हेतु समिति</u>

परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में निर्माण सामग्रियों के कय हेतु प्रस्तावित समिति के तीनों सदस्य संबंधित निर्माण सामग्रियों के कय करने में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन का सहयोग एवं डिपाजिट कार्यो से संबंधित एजेन्सी की भागीदारी प्राप्त करने हेतु परचेज कमेटी में एक सदस्य जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में जो एस०डी०एम० स्तर से कम न हो तथा एक सदस्य डिपाजिट कार्यो से संबंधित विभाग का शामिल कर लिया जाये। परिषद के कार्यो हेतु संबंधित विभाग के सदस्य के स्थान पर आवास आयुक्त/मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित परिषद का एक अधिकारी परचेज कमेटी के सदस्य होगें। यह दोनों सदस्य विशेष आमंत्री के रूप में परचेज कमेटी का सदस्य होगें। इन दोनों सदस्यों को परचेज कमेटी की बैठक की तिथि के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा,परन्तु यदि किन्ही कारणों से इनमें से एक अथवा दोनों सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते तो भी समिति के तीन अन्य सदस्यों द्वारा दरों का निर्धारण किया जा सकेगा,जिससे कि निर्माण सामग्रियों के अभाव में निर्माण कार्यो की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस प्रकार से निर्माण सामग्रियों के प्रयोग हेतु निम्नवत समिति गठित की जाती है।

अ– संबंधित अधीक्षण अभियन्ता

ब– संबंधित अधिशासी अभियन्ता

स– सहायक लेखाधिकारी

द– डिपाजिट कार्यो हेतु संबंधित विभागीय सदस्य(विशेष आमंत्रित सदस्य)/परिषद कार्यो हेतु आवास आयुक्त/मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित सदस्य।

य– जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य(विशेष आमंत्रित सदस्य)

४. उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम मैनुअल–१९८४ के पैरा–१०३(चैप्टर–४) में दरों की स्वीकृति के उपरान्त आपूर्ति आदेश एवं पी०आर०डब्लू०हेतु कार्यादेश निर्गत करने के लिए यूनिट इंचार्ज को अधिकृत किया गया है,जो कि सामान्यतः प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और परचेज कमेटी का वरिष्ठतम सदस्य अधीक्षण अभियन्ता है। परिषद में चूंकि अधिशासी अभियन्ता को आहरण एवं वितरण के वित्तीय अधिकार प्रदत्त है तथा निर्माण एवं विकास कार्यो के सम्पादन हेतु निर्माण खण्डों को इकाई माना गया है, ऐसा स्थिति में परिषद में प्रस्तावित परचेज कमेटी में यद्यपि वरिष्ठतम सदस्य अधीक्षण अभियन्ता है परन्तु परचेज कमेटी द्वारा

अनुमोदित दरों पर विभिन्न निर्माण सामग्रियॉं कय करने हेतु आपूर्ति आदेश एवं कार्यो के सम्पादन हेतु पी०आर०डब्लू०(पीस रेटेड वर्क्स) के लिए कार्यादेश निर्गत करने के लिए खण्ड के सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा जो आपूर्ति आदेश एवं पी०आर०डब्लू०के लिए कार्यादेश निर्गत किये जायेगें,उनके लिए वित्तीय सीमा वर्तमान में परिषद में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत ही होगी।

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/04
	विषयः डी०पी०आर० के साथ दिये जाने वाले प्रमाण पत्र से सम्बन्धित	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page	1 of 1

निर्माण एवं विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रत्येक डी0पी0आर0 के साथ निम्न प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा संलग्न किया जायेगा तथा मुख्यालय में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, प्रमाण पत्र के अनुसार ही चैकिंग करके अपनी आख्या प्रस्तुत करेगें ।

<u>प्रमाण पत्र</u>

- इस डी0पी0आर0 में सभी एंडवाल, बैकवाल, साईडवाल, एन्टीटरमाईट ट्रीटमेन्ट, साल्ट पीटर ट्रीटमेन्ट, कार्य स्थल के अनुसार फिजीविलिटी एवं यदि निचली भूमि है तो नींव की अतिरिक्त लागत तथा मिट्टी की कम भार क्षमता के लिये नींव की वास्तविक लागत का प्राविधान डी0पी0आर0 में कर लिया गया है । भविष्य में इन कारणों से प्राक्कलन की लागत में वृद्वि की सम्भावना नही है ।
- दरों में एस0ओ0आर0 (वर्तमान) के ऊपर सीमेन्ट, स्टील एवं अन्य निर्माण सामग्रियें तथा लेबर आदि के लिए वर्तमान बाजार भाव के अनुसार वांछित इंजीनियरिंग एप्रीसिएशन का भी प्राविधान डी0पी0आर0 में कर लिया गया है ।

यह डी0पी0आर0 सभी समुचित प्राविधानों एवं सम्यक विचारोपरान्त ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है ।

UPHDB/PM/ENG/20	Prepared by	Reviewed by	Approved by
Prev. Order No. 2607/M-2/10 dt. 25-9-91	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/05
	विषयः गहरी नींव,साल्टर पीटर तथा एन्टीटरमाइट ट्रीटमेंट से संबंधित	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page 1 of 1	

निर्माण कार्यो में गहरी नींव, साल्ट पीटर तथा एन्टीटरमाईट ट्रीटमेन्ट के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 1276/78/सी.एम.–54/8 दिनांक 20.10.73, 3229/एम–2/53 दिनांक 12.9.89, 1198/डब्लू–28/4 दिनांक 23.3.81, 86/डब्लू.जी./122/8 दिनांक 13.1.83 को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित आदेश दिये जाते हैं :–

- सामान्यत 1.50 मीटर से अधिक भराई के क्षेत्र में भवन निर्माण न किया जाये । यदि विशेष परिस्थितियों में 1.50 मीटर से अधिक फिलिंग के क्षेत्र में निर्माण किया जाना आवश्यक हो, तो इस प्रकार की स्वीकृति के लिए पूर्ण औचित्य डी0पी0आर0 में दिया जाये ।
- योजना क्षेत्र के निचले स्थानों पर यथासंभव पार्क, "ओपेन स्पेस" अनावासीय भूखण्ड प्रस्तावित किये जायें । यदि 1.50 मीटर से अधिक की फिलिंग के क्षेत्र में आवासीय भूखण्डों का प्राविधान किया जाना आवश्यक हो, तो आवास आयुक्त के संज्ञान में लाते हुए लेआउट का अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।
- मृदा परीक्षण में साल्ट पीटर पाये जाने पर नींव के ट्रीटमेन्ट हेतु आवश्यक प्राविधान उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग/सी.बी.आर.आई. की विशिष्टियों के अनुसार डी0पी0आर0 में किये जायें ।
- निर्माण/विकास कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले जल का परीक्षण आई.एस.–456:2000 के प्राविधानों के अनुसार कराया जाय तथा तदानुसार प्राविधान डी0पी0आर0 में किये जायें।
- भवनों में एन्टीटरमाईट ट्रीटमेन्ट निर्धारित आई.एस. कोड (6313) के अनुसार दिया जाये। सेमी फिनिश्ड भवनों में एन्टीटरमाईट ट्रीटमेन्ट परिषद द्वारा नींव तथा बैक फिलिंग में कराया जायेगा। एन्टीटरमाईट ट्रीटमेन्ट कार्य अधिकृत फर्मो से ही कराया जायेगा ।

	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/ENG/20 UPHDB/PM/ENG/24	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.: UPHDB./OO/ENG/06
	विषयः योजनाओं के नलकूपों से संबंधित कैम्पस में बाउन्ड्रीवाल निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में	Revision No.: 00
		Effective Date: 1.4.2004
		Page 1 of 1

परिषद की योजनाओं में जलापूर्ति हेतु नलकूपों का निर्माण सामान्यतः योजना में निर्मित पार्कों अथवा खुले स्थानों में किया जाता है परन्तु नलकूपों के कैम्पस में अलग से बाउन्ड्रीवाल नही बनायी जाती है। योजना की जनसुविधाओं का हस्तानान्तरण स्थानीय निकाय को रखरखाव हेतु हो जाता है तो स्थानीय निकाय द्वारा पार्कों के अन्दर ही नलकूपों के मेन्टीनेन्स स्टाफ के लिए भवन इत्यादि बना दिये जाते हैं। जिसके फलस्वरूप पार्को का स्वरूप विकृत हो जाता है । अतः एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि जिन पार्को/खुले स्थानों में नलकूप बना दिये गये हैं अथवा भविष्य में बनाये जाने हैं उनमें नलकूपों से सम्बन्धित क्षेत्र को पार्क/खुले स्थान से अलग करके नलकूप के कम्पाउण्ड की बाउन्ड्रीवाल बनाकर गेट इत्यादि का प्राविधान अवश्य कर दिया जाय, जिससे कि नलकूप एवं पार्क का क्षेत्र दोनों अलग–अलग सीमांकित किये जा सकें । यह भी ध्यान रखा जाय कि जन सुविधाओं के हस्तान्तरण के समय नलकूपों के कम्पाउण्ड को अलग से ले आउट प्लान पर दर्शा दिया जाय, जिससे कि पार्क/खुले स्थानों में अतिक्रमण न हो सके । नलकूपों की स्थिति ले आउट में अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) एवं सिविल द्वारा मुख्य वास्तुविद नियोजक से विचार–विमर्श करके निर्धारित करवायी जाय ।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

UPHDB/PM/ENG/24	Prepared by	Reviewed by	Approved by
Prev. Order No. 1527/W-23/52 dt- 29-5-91	S.E.(P)	C.E./	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/07
	विषयः ठेकेदारी पर माफिया गिरोहों पर नियंत्रण समाप्त करने सम्बन्धी शासकीय नीति ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page 1 of 1	

ठेकेदारी पर माफिया गिरोहों का नियंत्रण समाप्त करने के लिए शासन द्वारा कदम उठाये जा रहे है । इसी संदर्भ में शासन की नीति के अनुसार निम्न आदेश दिये जाते है :–

- ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करते समय ठेकेदारों के चरित्र सत्यापन पर ध्यान दिया जाये। निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों से मिलकर रजिस्टर्ड ठेकेदारों का चरित्र सत्यापन (हर तीसरे साल) गोपनीय तरीके से कराये । इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करके निर्धारित अवधि में ठेकेदारों का चरित्र सत्यापन अवश्य कराया जाय ।
- ठेकेदारें की सूची बनायी जाय और अपराधिक इतिहास का "डाक्यूमेन्टेशन किया जाय। इस सम्बन्ध में उनके सहयोगियों व सम्बन्धियों का भी विवरण शामिल किया जाये । इनके लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- माफिया गिरोह से सम्पर्क रखने वाले स्थानीय अधिकारियों की भी सूची बनायी जाय एवं उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही के प्रस्ताव भेजे जायें ।
- टेण्डर डालने की निश्चित तिथि को पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

PROCESS NO. UPHDB/PM/ENG/24	Prepared by	Reviewed by	Approved by
PREV.ORDER NO. 762/M72/5 Dt. 2-3-93	S.E.(P)	C.E.	H.C

परिषद के निर्माण /विकास कार्यो से सम्बन्धित एकल निविदा की स्वीकृति हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 1237/डब्लू–29/58 दिनांक 2.5.80, 723/एम–2/11 दिनांक 25..2.87, 795/एम–2/13 दिनांक 5.3.87, 4825/निविदाओं दिनांक 17.12.2002 को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार आदेश दिये जाते हैं :–

निर्माण/विकास कार्यो तथा विभिन्न निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्त एकल निविदायें/कोटेशन सामान्यत स्वीकृत नही की जायेगी । यदि निविदायें वृहद प्रचार के बाद आमंत्रित की गई है और किन्ही कारणों से निविदा पुनः आमंत्रित करना उचित नही है एवं सक्षम अधिकारी निविदा की दर तथा ठेकेदार की क्षमता से पूर्णतया सन्तुष्ट है तो ऐसी निविदा/कोटेशन की स्वीकृति के लिए निम्न समितियों द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

अ– <u>अधिशासी अभियन्ता के वित्तीय अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त निविदा/कोटेशन</u>

अ–	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता	अध्यक्ष
ब–	वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता (वृत्त के अन्तर्गत)	सदस्य
स–	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता	सदस्य एवं संयोजक
द–	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी	सदस्य

ब– <u>अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता के वित्तीय अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त निविदा/कोटेशन</u>

अ–	मुख्य अभियन्ता	अध्यक्ष
ब–	वित्त नियंत्रक/उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
स–	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य एवं संयोजक
द–	अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)	सदस्य

UPHDB/PM/ENG/24	Prepared by	Reviewed by	Approved by
Prev.order No. 1237/W-29/58 dt. 2-5-80 723/M-2/11 dt. 25.2.87 725/M-2/13.dt. 5-3-87 2263/M-62 dt. 24.6.2002 4325/निविदाओं dt. 17-12-02	S.E.(P)	C.E./	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/09
	विषयः निर्माण/विकास कार्यो के अनुबंधों के विवाचन के संबंध में।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page 1 of 3	

परिषद के विभिन्न खण्डों द्वारा निर्माण/विकास कार्यो हेतु जो अनुबन्ध विभिन्न ठेकेदारों से किये जाते हैं,उनमें उत्पन्न होने वाले विवादों की मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति व उनको मानदेय आदि का भुगतान किये जाने संबंधी कार्यालय आदेश संख्या ६३६/ए–३/४ दिनांक १६.४.८४ में परिषद द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तो के साथ–साथ इस शर्त का भी उल्लेख किया गया है कि यदि दाद ठेकेदार द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा तो विवाचन पर होने वाला समस्त व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा और यदि वाद परिषद द्वारा उठाया जायेगा तो व्यय परिषद द्वारा वहन किया जायेगा। वर्तमान में प्रचलित प्रकिया के अनुसार ठेकेदार द्वारा विवाचक को भुगतान शासन के वित्त अनुभाग के ज्ञाप संख्या जी–१–१०६१/दस–५३४(२६) २२ दिनांक २७.७.८६ (प्रति संलग्न) के अनुसार परिषद के संकल्प संख्या– पंचम (६७) ६० दिनांक २७.६.६० द्वारा निर्धारित दरों पर सीधे किया जाता है। इस व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन करते हुए यह प्राविधान किया जाता है कि ठेकेदारों/फर्मो द्वारा विवाचन की मांग किए जाने पर परिषद द्वारा विवाचक की नियुक्ति के पूर्व ठेकेदारों द्वारा विवाचन शुल्क की अधिकतम धनराशि (रू० ५०.०० लाख लागत तक के कार्यो के विवादों में रू० १५०००.०० तथा रू० ५०.०० लाख से अधिक लागत के कार्य के विवादों में रू० २५०००.००) तथा अन्य विविध व्यय की राशि संबंधित खण्ड में जमा करायी जायेगी, उसके पश्चात ही परिषद द्वारा विवाचक की नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। विवाचक को विवाचन शुल्क एवं अन्य विविध खर्चो का भुगतान संबंधित खण्ड द्वारा किया जायेगा।

लिमिटेशन एक्ट की आर्टकिल १३७ के अनुसार कार्य किये जाने के ३ वर्ष के अन्दर यदि आर्बीट्रेशन की मॉग की जाती है तो परिषद द्वारा परिषद एवं परिषद के बाहर से आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि के पश्चात की जाने वाली आर्बीट्रेशन की मांग पर विचार नहीं किया जायेगा। विवाचकों के पैनल संबंधित कार्यालय आदेश सं० १०६०/डब्लू–८११ दिनांक ३.४.१६६८(प्रति संलग्न) के अनुसार विवाचकों की तैनाती आवास आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी। विवाचकों का पैनल आवास आयुक्त द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्गत अन्य आदेशों को अतिकमित भी किया जाता है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

Process No. UPHDB/PM/ENG/24 Prev. Order No. 3125/W-81 dt. 29-9-98	**Prepared by**	**Reviewed by**	**Approved by**
	S.E.(P)	C.E.	H.C

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त सामान्य (अनुभाग)
संख्या–जी–1–1061/दस दिनांक–लखनऊ 27 जुलाई 1989

विषयः विवादों की मध्यस्थता करने के लिये नियुक्ति किये गये मध्यस्थों को मानदेय की अनुमन्यता।

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर अत्यन्त विवादों की मध्यस्थता के लिये मध्यस्थ के रूप में सेवा वित्त तथा सेवारत अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त दो गैर सरकारी पदों के मध्य उत्पन्न विवाद में मध्यस्थता के लिये भी सरकारी अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति की जाती है । अतः समय–समय पर शासन के वित्त विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यालय ज्ञाप द्वारा मध्यस्थता करने के लिये अनुमन्य मानदेय की दरें निर्धारित की गई थी :–

1– सं0 जी0–1–790/दस–534(26)/22 दिनांक 2 अगस्त, 1969 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या जी–1–2100/दस–78, दिनांक 27 अक्टूबर, 1978

(2)– सं0 जी0–1–746/दस–534(26)/22 दिनांक 28 अप्रैल, 1981
(3)– सं0 जी0–(1)1626/दस–535(26)/22 दिनांक 21 नवम्बर, 1984
(4)– सं0 जी0–1–347/दस–86–534(26)/22 दिनांक 4 मार्च, 1986

2– मध्यस्थता कार्य के शीघ्र निस्तारण एवं मध्यस्थों को उचित मानदेय की दरें निर्धारित करने के उद्देश्य से उपरिलिखित कार्यालय ज्ञापों को अतिकमित करते हुए राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि विवादों में मध्यस्थता करने के रूप में कार्य करने के लिये निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार मानदेय की संशोधित दरें अनुमन्य होगीं ।

(1) सेवा निवृत्त न्यायाधीशों/मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के लिए किसी एक विवाद में मध्यस्थता के लिये मध्यस्थ को अनुमन्य मानदेय की दर तथा अनुमन्य मानदेय की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी :–

(क) पचास लाख रूपये तक के विवादों में स्थानीय कार्य हेतु पॉच सौ रूपये प्रति कार्य दिवस तथा अन्यत्र स्थान पर कार्य हेतु एक हजार रूपये प्रति कार्य दिवस परन्तु अधिकतम धनराशि की सीमा पन्द्रह हजार रूपये ।

(ख) पचास लाख रूपये से अधिक विवादों में स्थानीय कार्य हेतु पॉच सौ रूपये प्रति कार्य दिवस तथा अन्यत्र स्थान पर कार्य हेतु एक हजार रूपये प्रति कार्य दिवस, परन्तु अधिकतम सीमा पच्चीस हजार रूपये ।

(2) सेवारत न्यायिक अधिकारियों/विधि अधिकारियों/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्तागण के लिये उपरिलिखित प्रस्तर 2(1) के उप प्रस्तर (क) तथा (ख) में वर्णित प्रति कार्य दिवस के लिये निर्धारित दरों की आधी दर पर मानदेय अनुमन्य होगा परन्तु अधिकतम सीमा क्रमशः पन्द्रह हजार रूपये तथा पच्चीस हजार रूपये होगी ।

3– यदि किसी मध्यस्थता विवाद में कृत कार्य के आधार पर मानदेय की अधिकतम सीमा से अधिक मानदेय की मॉग की जाती है तो शासन के विधि परामर्शी द्वारा परिस्थितियों का विश्लेषण करके वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करके उक्त मामले में आवश्यकतानुसार मानदेय की

अधिकतम सीमा में शिथिलीकरण किया जा सकता है और विधि परामर्शी के विशिष्ठ आदेश होने पर ही अधिकतम सीमा से अधिक मानदेय दिया जा सकेगा ।

4– यदि किसी अधिकारी को उसके विभाग से सम्बन्धित विवाद में मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति की जाती है तो भी उसे उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों पर मानदेय अनुमन्य होगा ।

5– यदि किसी सेवा निवृत्त/सेवारत अधिकारी द्वारा मध्यस्थता का कार्य किसी विशेष कारण से पूर्ण नही किया जा सके अथवा उक्त कार्य करने से मना किया जाय तो ऐसे अधिकारी को कृत कार्य के लिये उपरिलिखित दरों पर अनुमन्य मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

6– सेवा निवृत्त न्यायाधीशों/अभियन्ताओं को यदि मध्यस्थता के कार्य के लिये अन्यत्र स्थान पर कार्य करने के लिये यात्रा करनी पड़ती है तब मध्यस्थ विवाद से सम्बन्धित विभाग द्वारा ही उन्हें नियमों के अनुसार देय यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि का भुगतान किया जायेगा जिसकी दरें सेवारत समकक्ष अधिकारियेां को अनुमन्य दरें होगी ।

7– सेवारत अधिकारियेां द्वारा मध्यस्थता कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिये यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता नियमानुसार अनुमन्य दरों पर देय होगा और सेवा शीर्षक से दिया जायेगा जिससे सम्बन्धित अधिकारी अपना वेतन आदि पर हों ।

8– यदि पूर्व निर्णय के अनुसार मध्यस्थता का व्यय गैर सरकारी पक्ष पर लगाया गया हो तो सम्बन्धित विभाग उस व्यय की वसूल गैर सरकारी पक्ष से करके खजाने में जमा कर देगें और इस प्रकार से वसूल की गयी धनराशि का भुगतान मध्यस्थता को नही किया जायेगा ।

9– सेवारत अधिकारियों को मध्यस्थता कार्य करने हेतु वित्तीय नियमावली खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 46 (क) के अनुसार अपने सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी और सक्षम अधिकारी यह निर्णय लेगें कि क्या सम्बन्धित अधिकारी को बिना उनके सामान्य कार्य में बाधा पहुचातें हुए मध्यस्थता का कार्य करने तथा उसके लिये मानदेय प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है । ऐसा विज्ञप्ति करके सक्षम अधिकारी द्वारा मध्यस्थता के रूप में नियुक्ति अधिकारी को इस शर्त के अधीन कार्य करने तथा मानदेय प्राप्त करने हेतु अनुमति दी जायेगी कि वह मध्यस्थता का कार्य इस प्रकार करेगें कि उनके पद के सामान्य कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे ।

10– मध्यस्थता के कार्य में निहित आशुलेखन, टंकण एवं लिपिकीय कार्य के निमित्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित व्यय का भुगतान विवाद से सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा सीधे ही भुगतान किया जायेगा।

ह0/–
(सोमदत्त त्यागी)
सचिव

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/09
	विषयः निर्माण / विकास कार्यो के अनुबंधों के विवाचन के संबंध में।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page	1 of 1

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
१०४,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ

संख्याः १०६० / डब्लू–८१ — दिनांक ३.४.१९९८

<u>कार्यालय आदेश</u>

परिषद में निर्माण / विकास कार्यो के अन्तर्गत उत्पन्न विवाद के निपटारे हेतु कार्यालय आदेश संख्या १०६४ / डब्लू–८१ / १६० दिनांक २.५.९४ द्वारा बनाये गये पैनल का अतिकमण करते हुए निम्न सेवा निवृत्त अधिकारियों का पैनल विवाचन कार्य के लिये नियुक्त किया जाता है।

कमांक	विवाचक का नाम	पता
१.	श्री आर०एस०सिंह,सेवा निवृत्त प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सी–१०८८ इन्दिरा नगर लखनऊ
२.	श्री आशुतोष त्रिपाठी, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता,जल निगम	द्वारा प्रबन्धक एम०के०एस०डी०इन्टर कालेज पेपर मिल कालोनी लखनऊ
३.	श्री एन०एस०माथुर,सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता जल निगम।	एच०आई०जी०–१०८,सेक्टर–ई,अलीगंज, लखनऊ फोन नं० २३३००४४
४.	श्री एम०ए०रिजवी,सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, जल निगम	के०सी०–१५७ कवि नगर, गाजियाबाद फोन नं.–२७८१२६२, २७५१६१२
५.	श्री योगेन्द्र कुमार जैन,सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग	६६ / २ लोक निर्माण विभाग कम्पाउन्ड, ६६ महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ
६.	श्री गिरीश चन्द्र गर्ग, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग	१२४ फेज–२ वसन्त विहार देहरादून–२४८.००६
७.	श्री आर०सी०जिन्दल,सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग	४ / ५४ विशालखण्ड गोमतीनगर लखनऊ फोन नं० २३६७१५३
८.	श्री एस०एन०माथुर,सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग	४ कबीर मार्ग, लखनऊ
९.	श्री एस०पी०गोयल,सेवा निवृत्त प्रमुख अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग	बी–१६, जे०रोड महानगर विस्तार लखनऊ फोन नम्बर– २३२८०३८
१०.	श्री आर०डी०कटियार,सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता,विद्युत परिषद	ए–५१३,इन्दिरा नगर लखनऊ
११.	श्री एम०एम०डी०सेठ,सेवा निवृत्त प्रमुख अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग	६ / २६,राना प्रताप मार्ग,लखनऊ
१२.	श्री दिनेश चन्द्र नौटियाल,सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग	ए–५४५, इन्दिरा नगर लखनऊ फोन नं०– २३४३६०५

Process No. UPHDB/PM/ENG/24	Prepared by	Reviewed by	Approved by
Phone Nos ammended & persons dead are removed from the Previous order	S.E.(P)	C.E.	H.C

समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाओं के प्रसारण व्यय में मितव्ययता के उददेश्य से उ०प्र०लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० ६०/सामान्य निद्रेश/४४७६ एम०टी०–६०/६८ लखनऊ दि० २६.८.६० (प्रति संलग्न) को परिषद में लागू किये जाने के संबंध में आवास आयुक्त म० द्वारा सहमति दे दी गयी है। अतः संलग्न आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,उ०प्र०लो०नि०वि०
सामान्य प्रकीर्ण वर्ग

६० सामान्य/निर्देश/४७७६एमटी/५६ एम–६०/६० लखनऊ दिनांक २६.८.६०

कार्यालय ज्ञाप

विषयः समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाओं के प्रसारण व्यय में मितव्ययता।

निविदाओं के अखबारों के सम्बन में इस कार्यालय से निम्न परिपत्र जारी हुएः–

१. १८/पी०डब्लू०/२०४ एम–५६ दिनांक ३१.१०.१९५६

इन आदेशों में रू० ५०,०००/– से अधिक राशि की निविदा के ही नोटिस अखबारों में छपने के निर्देश दिये गये थे। जिस समय यह आदेश जारी हुए थे उस समय रू० ५०,०००/– से अधिक राशि के कार्यो को ही वृहत कार्यो की श्रेणी में माना जाता था।

२. १२/पी०डब्लू०/१२एम–६२ दिनांक २५.५.६३

उक्त परिपत्र में आपात कालीन स्थिति के दौरान रू० १.५ लाख से अधिक की राशि की निविदाओं के नोटिस अखबारों में निकाले जाने के आदेश दिये गये। जिस समय यह आदेश जारी हुए उस समय भी वृहत कार्यो की लागत रू० ५०,०००/– से अधिक निर्दिष्ट थी। यह सीमा आपातकालीन अवधि में कार्यालय व्यय घटाने की दृष्टि से बढ़ाई गई थी।

इसके बाद यद्यपि पिछले वर्षो में निर्माण कार्यो कीं लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मई १९७७ में वृहत कार्यो की सीमा १ लाख से अधिक १६.१०.८५ के आदेश से २ लाख से अधिक कर दी गई है। अखबारों में निविदा सम्बन्धी आदेशों का पुनरीक्षण नहीं हुआ है।

स्थिति यह है कि इस पॉच ठेकेदारों के पंजीकरण के नियम बनने के कारण कार्य की निविदा केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही जारी की जा सकती है वह पहले का अपेक्षाकृत ठेकेदार वर्ग में जागरूकता बढ़ीं है। दूसरी ओर कार्यो की लागत बहुत बढ़ जाने के कारण अधिकांशतः निविदाएं अखबारों में छपवाने के कारण कार्यालय व्यय पर बहुत भार पड़ रहा है। अतः व्यवहारिकता एवं मितव्ययता की दृष्टि से पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि भविष्य में बृहत कार्यो(मेजर वर्क्स) की सीमा में आने वाली निविदाओं का ही प्रचार समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाय। इस समय २ लाख के अधिक लागत के ही कार्य वृहत कार्यो की श्रेणी में आते हैं। अतः जब तक यह सीमा बढ़ाई न जाय, तब तक २ लाख के अधिक की निविदाओं का ही प्रचार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाय।

लघु/पेटी/कार्यो की निविदाओं का प्रसारण नोटिस बोर्डो पर चस्पा कराके किया जाय व इनकी प्रति जनपद में लो०नि०वि० के अन्य खण्डों के नोटिस बोर्डो पर भी लगाई जाये निविदा जारी करने वाले अधिकारी का यह दायित्व बनता कि वे समस्त निविदा नोटिसों की

प्रतियॉं, स्थानीय खण्डों को प्राप्त कर इसकी रसीद रिकार्ड में रखवायें व बाहर के खण्डों को निविदायें नोटिस की प्रतियॉं पंजीकृत डाक से भेजें।

निविदाओं के संबंध में भ्रमपूर्ण स्थिति से बचने के लिए यह भी उचित होगा कि हर खण्ड में माह में निविदायें प्राप्त करने की २ तिथि निर्धारित की जाये और और तिथियों पर निविदा मांगी जाये।

ह०/
(धर्मवीर)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१. निजी सचिव, मा०मंत्री जी, लो०नि०वि०,उ०प्र०लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सामान्य निर्देश से मा० मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।
२. सचिव(नाम से) लो०नि०वि०,उ०प्र०शासन,लखनऊ
३. समस्त प्रमुख अभियन्ता,उ०प्र०लो०नि०वि०।
४. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,उ०प्र०लो०नि०वि०।
५. निदेशक, अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रामो०सेल,लो०नि०वि०।
६. समस्त अधिशासी अभियन्ता/कार्य अधीक्षक,उ०प्र० लो०नि०वि०।
७. समस्त अधिकारी/वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० लखनऊ।
८. प्रांत प्रमुख अभियन्ता की गार्ड फाइल हेतु/शिविर सहायक प्र०अ० लो०नि०वि०।

ह०/
(धर्मवीर)
प्रमुख अभियन्ता

शासनादेश सं0–570(1)/9–आ–1–2001 भूकंपरोधी/2001 दिनांक 3 फरवरी, 2001, 772/9–आ–1–2001–भूकंपरोधी/2001/आवास अनु0 दिनांक 13 फरवरी, 2001 एवं सं0–3751/9–आ–1–2001–भूकम्परोधी/आवास अनु0 दिनांक 20, जुलाई 2001 द्वारा उ0 प्र0 में भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिये भूकंपरोधी आवश्यक सुरक्षात्मक प्राविधान सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है ।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों की छाया प्रतियॉ इस निर्देश के साथ संलग्न की जा रही हैं कि शासनादेशों के अन्तर्गत निहित प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये, ताकि भविष्य में परिषद द्वारा बनाये जा रहे भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना के कार्य भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त न हों ।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार । भवदीय,

(विद्यानन्द गर्ग)
आवास आयुक्त

सं0 890 /उक्त/ 14-47 दिनांक 24/2/04

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
2– मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
3– समस्त अधिशासी अभियन्ता/समस्त वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद ।

आवास आयुक्त

संलग्नकःउपरोक्तानुसार ।

संख्या : 570/9-आ-1-2001- भूकम्प रोधी/2001 (आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. समस्त उपाध्यक्ष
   विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अध्यक्ष
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी,
   विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक,
   उ.प्र. आवास संघ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2001

विषय : नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

देश में समय-समय पर आये भूकम्पों की त्रासदी को दृष्टिगत रखते हुए यह अपरिहार्य हो गया है कि उत्तर प्रदेश, जिसका अधिकांश क्षेत्र भूकम्प जोन-2 से 4 के अन्तर्गत आता है, में भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिये आवश्यक सुरक्षात्मक प्राविधान सुनिश्चित किये जायं। नयी निर्माण अनुमति निम्नलिखित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए दी जायेगी-

1. निर्माण कार्य जिन पर यह व्यवस्थायें लागू होंगी :

नगरीय क्षेत्र के समस्त भूतल सहित तीन मंजिला से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधायें यथा-वाटर-वर्क्स एवं ओवरहेड टेक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं कल्पर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं

विद्युत सब-स्टेशन तथा विद्युत टावर इत्यादि का विकास, सुरक्षा के आवश्यक प्राविधानों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाय। वर्तमान में उपलब्ध मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान में भी यथा-आवश्यक संशोधन भूगर्भीय तकनीकी सर्वेक्षण के आँकड़ों एवं मानचित्रों के प्राविधान के आधार पर शीघ्र करा लिया जाय, ताकि नियोजन की दृष्टि से भी नये भवनों के निर्माण एवं नयी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भूकम्प एवं अन्य दैवीय आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम स्तर का सुनिश्चित किया जा सके।

2. सुसंगत कोड :

उ.प्र. एवं उत्तरांचल राज्य के भूकम्प जोनिंग मानचित्र संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार उत्तरांचल राज्य का सम्पूर्ण भाग जोन-4 व 5 में आता है तथा उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग जोन-1 से 4 के अन्तर्गत आता है, अतः प्रत्येक जोन के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में निर्मित होने वाले नये भवनों एवं उपरोक्त इंगित महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविथाओं के विकास हेतु संलग्न परिशिष्ट-2 में उल्लिखित भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, अन्य सुसंगत गाईड-लाइन्स एवं अभिलेखों के प्राविधानों को शत-प्रतिशत अपनाया जाना अनिवार्य (Mandatory) होगा।

3. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन के समय आवश्यक अभिलेख :

भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक वास्तुविदीय मानचित्र, जिसके साथ संलग्न परिशिष्ट-3 के प्रारूप पर "बिल्डिंग इन्फार्मेशन शेड्यूल" तथा संलग्न परिशिष्ट-4 के प्रारूप पर भूस्वामी/बिल्डर, मानचित्र तैयार करने वाले आर्कीटेक्ट एवं भवन की नींव तथा सुपर स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि भवन मानचित्र एवं नींव तथा सुपर स्ट्रक्चर की डिजाइन में भूकम्प रोधी सभी प्राविधानों का क्रमांक-2 में उल्लिखित कोड, गाईड-लाइन्स एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षर युक्त भवन की नींव एवं सुपर स्ट्रक्चर की डिजाइन की पूर्ण गणनायें एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र भी, मानचित्र स्वीकृति संबंधी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

4. भवन मानचित्र स्वीकृति के समर्थ परीक्षण :

मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये वास्तुविदीय मानचित्र बिल्डिंग बाई-लॉज के अनुरूप हैं तथा भूकम्परोधी एवं भवन की संरचनात्मक सुरक्षा के प्राविधानों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूपों में हैं तथा नीवं एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन संबंधी गणनायें स्ट्रक्चरल इन्जीनियर से प्रमाणित कर संलग्न की गई हैं। यह सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत किये जायें। बिना समुचित परीक्षण किये अथवा प्रमाण-पत्र लिये ही यदि मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाते हैं और बाद में ऐसी कोई तकनीकी त्रुटि पायी जाती है जिसके कारण भवन की संरचनात्मक सुरक्षा संशयपूर्ण पाई गई तो मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी भी ''क्रिमिनल'' शिथिलता के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें :

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की जायेगी :

(क) किया जाने वाला निर्माण, सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।

(ख) निर्माण का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहें।

(ग) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा, न करने दिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वीकृति प्राधिकारी अन्य शर्तें भी आवश्यकतानुसार निर्धारित कर सकते हैं।

6. कम्पलीशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता :

भवन पूर्ण हो जाने पर भूस्वामी/बिल्डर द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, उसके साथ परिशिष्ट-5 पर संबंधित वास्तुविद्, साईट इन्जीनियर, भूस्वामी/बिल्डर द्वारा संयुक्त रूप से पुनः इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि

भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित विशिष्टियों, गुणवत्ता तथा परिशिष्ट-2 उल्लिखित भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं सुसंगत गाईड लाइन्स पर आधारित समस्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं भूकम्प रोधी समस्त प्राविधानों के साथ किया गया है तथा भवन उपयोग हेतु हर प्रकार से सुरक्षित है। पूर्णता प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी सभी अन्य औपचारिकतायें पूर्ण होने के साथ सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध हैं, इसके उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्प्लीशन सर्टीफिकेट) निर्गत किया जाय।

7. पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना यदि कोई भवन अथवा उसका कोई अंश अनाधिकृत रूप से प्रयोग में लाया जाता है अथवा लाये जाने की सम्भावना होती है, तो ऐसे निर्माण को सील कर दिया जायेगा तथा भवन स्वामी/निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही कर दी जायेगी।

8. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप अनाधिकृत निर्माण के शमन के प्रकरणों में भी युक्ति-युक्त रूप से लागू होंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक : परिशिष्ट (1-5)

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या संख्या : 570(1)9-आ-1-2001-भूकम्प रोधी/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तरांचल प्रदेश-इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त शासनादेश में निहित सुरक्षात्मक प्राविधानों को उत्तरांचल प्रदेश में भी लागू करने हेतु विचार करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

संलग्नक : परिशिष्ट (1-5)

(संजय भूसरेड्डी)
विशेष सचिव

Process No. UPHDB/PM/ENG/	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

संख्या संख्या : 570(2)/9-आ-1-2001-भूकम्प रोधी/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उनके आस्थानों एवं अवस्थापनाओं के निर्माण कार्यों में उपयुर्क्त शासनादेश में निहित सुरक्षात्मक प्राविधानों के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं मानचित्रों एवं परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही कराने के आदेश जारी करने का कष्ट करें।

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, नगरीय क्षेत्र, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

संलग्नक : परिशिष्ट (1-5)

(संजय भूसरेड्डी)
विशेष सचिव

संख्या संख्या : 570(3)9-आ-1-2001-भूकम्प रोधी/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. शासन में आवास विभाग के समस्त अनुभाग अधिकारी।
3. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
4. अनुभाग अधिकारी, आवास अनुभाग-1 को गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

संलग्नक : परिशिष्ट (1-5)

(संजय भूसरेड्डी)
विशेष सचिव

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/11
	विषयः नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page	7 of 24

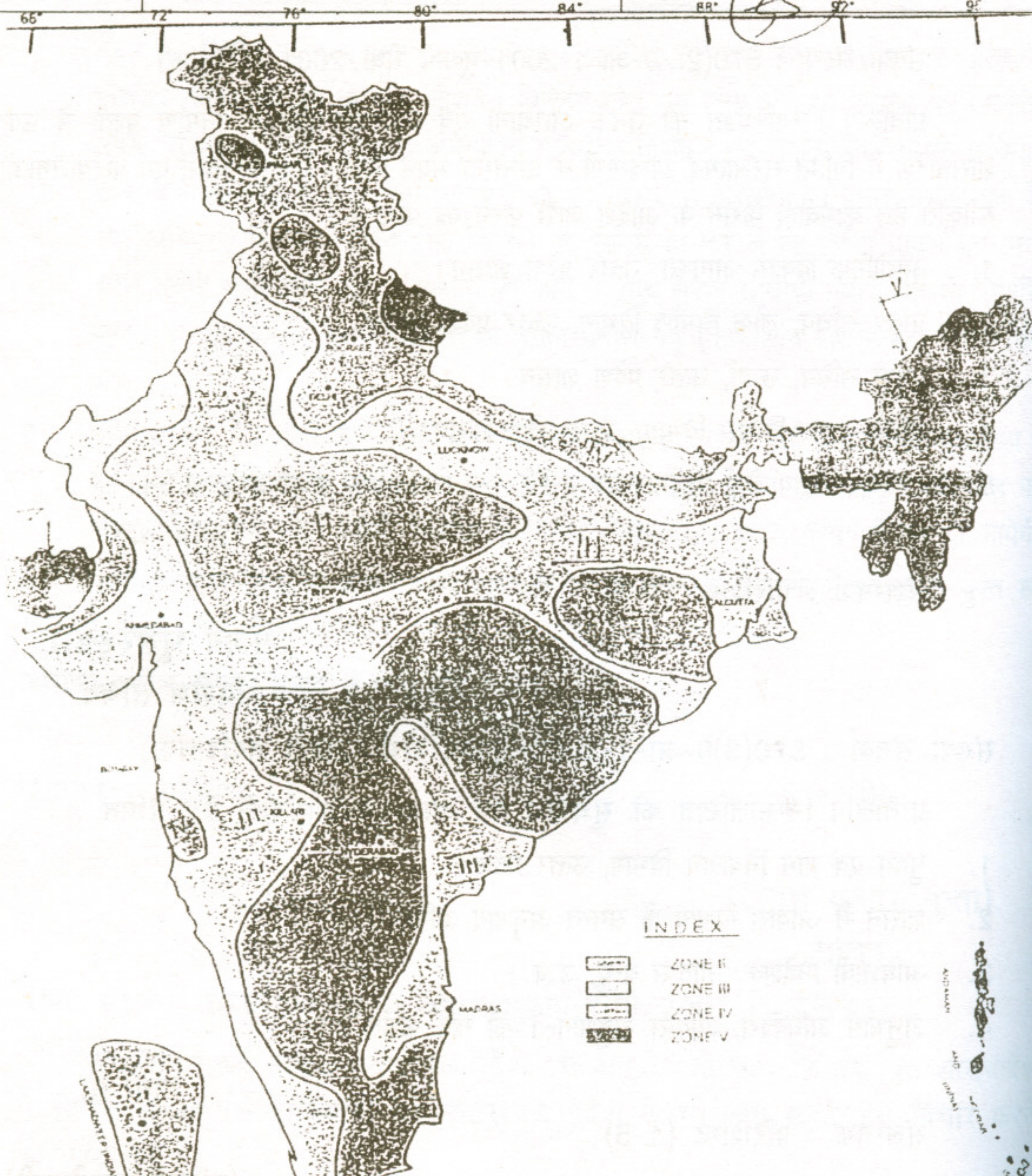

DRAFT SEISMIC ZONE

Process No. UPHDB/PM/ENG/	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

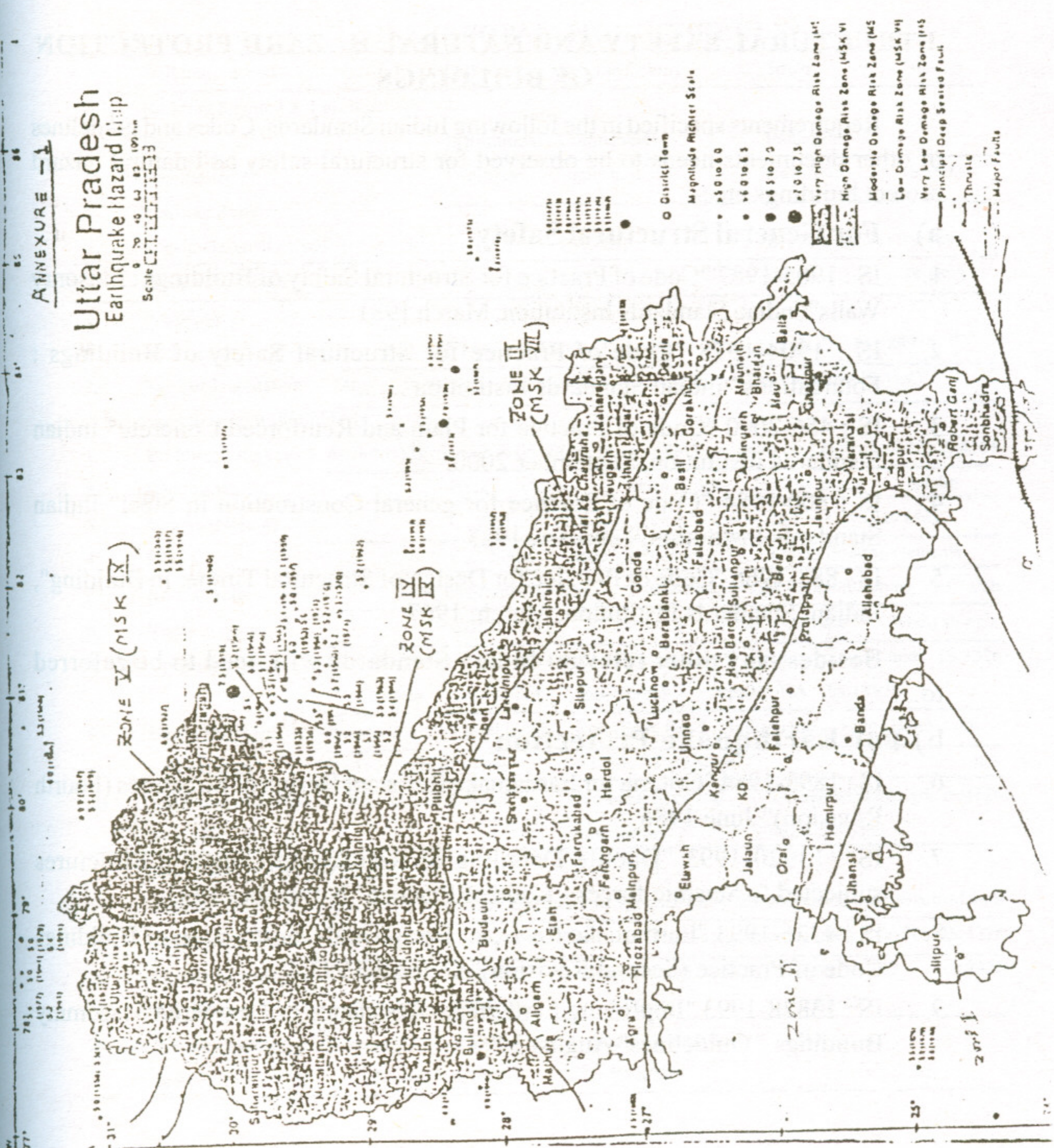

ANNEXURE - 1
Uttar Pradesh
Earthquake Hazard Map
ZONE V (MSK IX)
ZONE IV (MSK IX)
ZONE III (MSK VII)

ETRUCTURAL SAFETY AND NATURAL HAZARD PROTECTION OF BUILDINGS

Requirements specified in the following Indian Standards, Codes and guidelines of other documents needs to be observed for structural safety and natural hazard protect buildings etc :-

a) For General Structural Safety

1. IS : 1905-1987 "Code of Practice for Structural Safety of Buildings : Masonry Walls" Indian Standards Institution, March 1981
2. IS : 1904-1978 "Code of Practice for Structural Safety of Buildings : Foundations" Indian Standards Institution ....
3. IS : 456-2000 "Code of Practice for Plain and Reinforced Concrete" Indian Standards Institution, September 2000.
4. IS : 800-1984 "Code of Practice for general Construction in Steel" Indian Standards Institution, February, 1985
5. IS : 883-1966 "Code of Practice for Design of Structural Timber in Building", Indian Standards Institution, March, 1967

Besides, any other relevant Indian Standards will need to be referred to.

b) For Earthquake Protection

6. IS : 1893-1984 "Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures (Fourth Revision)" June 1986
7. IS : 13920-1993 "Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structures subjected to Seismic forces - Code of Practice" November 1993.
8. IS : 4326-1993 "Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings Code of Practice (Second Revision)" October 1993.
9. IS : 13828-1993 "Improving Earthquake Resistance of Low Stren Masommy Buildings - Guidelines" August 1993.

Annexure-3

BUILDING INFORMATION SCHEDULE

	Building Address	Plot No.	Scheme/Colony	Town	District
1.	Building function & Locations				
1.	Use	Institutional	Commercial	Industrial	
2.	Importance	Ordinary	Important	Hazardous	IS:1993
3.	Seisunic Zone				
	(Design Intensity Used	V(X)	IV(VIII)	III(VII) II(VI)	IS:1893
	Design EQ Factor	α0=...	I= .... β=	αh = ...	IS:1893
	Foundation				
1.	Soil type at site (Note 2)	Rock/stiff Medium # Soft	Liquefiable	Expensive (B.C.)	IS:1893
2.	Type of Foundation	Strip Indiv. Col.	Fottings/Raft	Bearing Piles Friction Piles	IS:1893
	Lord Bearing Wall Buildings				
1.	Building Category	A(αh<o5) B(αh = 05 to 06)	C(αh. 06 to <08)	D(αh. 08 to <0.12) E(αh>0.12)	IS:4326
2.	Bearing Walls	Back	Stone Solid Block	Hollow Black	Adobe
3.	Mortar (Note 4)	C : S= 1:....	C:L:S = 1:.....	L:S = 1:........	Clay Mud
4.	Floors	R.C. Slabs	Stone slabs on joists	Prefab flooring elements	
5.	Roof structure	Flate like floors/pitched		Trussed/Raftered/A Frame/Stooping	R.C. slab
6.	Roof covering	CGI sheeting	AC sheeting	Clay tiles/State	Wood shingle
7.	Opening in walls	Control used on sizes ? Yes/No/NA	Control used on location ? Yes/No/NA Yes/No/NA	Strengthening around? Yes/No/NA	IS:4326 IS:13828
8.	Bands Provided	Plinth Band Lintel Band	Roof/Eave Band	Gable Band Ridge Band	-do-
9.	Vertical Bars	At corners of rooms	At jambs of openings		-do-
10.	Stiffening of Prefab Floors/Roofs	R.C. screed & Band	Peripheral band and connectors	Deiagonal planks and alround band	IS:4326
	Steel / R.C. frame buildings				
1.	Building Shape	Both axis near synunctrical	One axis near symmetrical/Unsymmetrical (Torsion considered)		
2.	Infills/partitions	Out of plane stability check ? Yes/No	In Plance suffiness considered ? Yes/No		IS:4326
3.	Ductile Detailing of R.C. Frames	Beims ? YES/NO Columns ? YES/NO	Beam column Joint ? YES/NO	Shoer Walls ? YES/NO	IS:13920
4.	Ductile Detailing of Steel Frames	Beams ? YES/NO Colums ? YES/NO	Beam Column Joint ? YES/NO	SP6 (6)	

Process No. UPHDB/PM/ENG/	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

10. IS : 13827-1993 "Improving Earthquake Resistance of Earthen Buildings - Guidlines" October 1993

11. IS : 13935-1993 "Repair an - Seismic Strengthening of Buildings - Guidelines" November 1993

12. "Improving Earthquake Resistance of Buildings - Guidelines" by Expert Group, Government of India. Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council. 1998

13. The National Building Code of India - 1983

For location of the building in hazard prone area of earthquakes, eyclone or wind storms and floods, reference may be made to the following :

14. Vulnerability Atlas of India : by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1997.

Note :

1. As and when anyone of the above referred standards and documents is revised, the design and construction of buildings thereafter must satisfy the latest version for approval of the building plans by the concerned local authority.

CERTIFICATE

(The certificate to be submitted with the application for building permission alongwith the building drawings and Building Information Schedule)

1. Certified that the building plans submitted for approval also satisfy the safety requirements as stipulated in the Indian Standard, Codes, guidelines and documents specified in the Annexure-2 of the Awas Anubagh G.O. No. 570/9-आ-1-2001-भूकम्प रोधी/2001(आय) dated 2001 regarding eathquake safety awareness and the information given at the attached Building Information Schedule, is factually correct to the best of my knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from natural hazards including Earth Quake has been prepared by duly qualified graduate Civil Engineer alongwith Post Graduate Diploma or Degree in Structural Engineering from a recognized University.
3. Location/ Address of Building
   Plot No. ....
   Scheme Colony ....
   Town ....
   District ....
4. Particulars of Building
   1. Ground Coverage (sq. mt.)
   2. Total covered area (sq. mt)
   3. Maximum Numbers of Floors above ground.

Signature of Owner with date

Name (Block)...
Address :
....
....
....

Signature of the Structural Engineer who had prepared the design with date

Name (Block) ....
Legible Seal : (with address)

Signature of the Architect who had prepared the design with date

Name (Block).......................................
Registration No. ....
Able Seal (with address)

Process No. UPHDB/PM/ENG/	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

Notes :

1. Encircle the applicable Data point or insert information.
2. Stiff N>30 : Medium N = 10.3 : Soft. N : 10: Liquerrable poorly graded Sands with N<15 under Water Table see Note 5 of the Table 1 in IS : 1893) Where N=Standard Penetration (IS:2:81-1981).
3. * Means any other, specify.
4. C = Cement, S = Sand, L = Lime

The above information is factually correct :

Signature of Owner with date

Signature of the Engineer who had Supervised the construction

Name (Block)..

Name (Block) ....A
Legible Seal :
(with address)

....
....
....

Signature of the Architect who had
Supervised the construction

Name (Block).....................................
COA Registration No. ....
Able Seal
(with address)

CERTIFICATE

(To be submitted with the application for obtaining commletion certificate)

1. Certificate that the Building for which comptetion plan has been submitted for appro confonns to the requirements of relevant Indian Standard Codes and National Building Code as referred in Annexure-2 of G.O. 570/9-आ-1-2001-भूकम्प रोधी/2001 (आय) dated 3 in respect of Structural Safety in general and National hazards including earthquak particular.
2. It is also certified that the Building has been constructed as per approved foundation structural designs provided by the Structural Engineer which are certified to be based relevant Indian Standard Code and National Building Code as referred above and building is safe for accupancy.
3. Location
3. Location/ Address of Building
   Plot No. ....
   Scheme Colony ....
   Town ....
   District ....
4. Particulars of Building
   1. Ground Coverage (sq. mt.)
   2. Total covered area (sq. mt)
   3. Maximum Numbers of Floors above ground.

Signature of Owner with date

Name (Block).......................................

....

....

Signature of the Engineer who had Supervised the construction

Name (Block) ....A
Legible Seal :(with address)

Signature of the Architect who had Supervised the construction

Name (Block)....................................
COA Registration No. ....
Able Seal
(with address)

Process No. UPHDB/PM/ENG/	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

संख्या : 772/9-आ-1-भूकम्प रोधी/2001 (आ.ब)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **समस्त उपाध्यक्ष**
   विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त अध्यक्ष**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी,**
   विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।
5. **प्रबन्ध निदेशक,**
   उ.प्र. सहकारी आवास संघ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2001

विषय : नये भवन एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त शर्तें।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 03 फरवरी, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित भवन जिन पर यह व्यवस्थाएँ लागू होंगी, के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी अवस्थापना सुविधाएं, चाहे उनकी ऊँचाई 12 मीटर से कम हो, पर भी यह व्यवस्थाएँ लागू होंगी, यथा अस्पताल, छविगृह, आडिटोरियम, सभा-भवन, शैक्षणिक संस्थाएँ, बस-टर्मिनल यदि उनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो।

2. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में उल्लिखित, आवश्यक अभिलेखों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुनिश्चित किये जायेंगे :-

क-1 भवन निर्माण हेतु नियम प्राधिकारी को जो मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भूस्वामी/बिल्डर, पंजीकृत आर्कीटेक्ट, के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस डिजाइन इन्जीनियर, के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-6 में उल्लिखित प्रारूप में अंकित किया जायेगा। इसके साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2001 के साथ संलग्न परिशिष्ट-3, बिल्डिंग इनफारमेशन शेड्यूल में उल्लिखित विवरण का सुसंगत अंश (इस ड्राइंग से सम्बन्धित) एक तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित किया जायेगा।

क-2 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए भवन मानचित्र के प्राविधानों में यदि नियत प्राधिकारी द्वारा मानचित्र परीक्षा कराने के उपरान्त कोई परिवर्तन/परिवर्धन कराया जाता है तो स्ट्रक्चरल तथा सर्विसेज डिजाइन में भी भूकम्परोधी प्राविधानों का तद्नुसार आवश्यक परिवर्तन स्ट्रक्चरल इन्जीनियर से पुनः कराकर मानचित्र पुनः स्वीकृति है। प्रस्तुत किया जाय जिसमें भी उपरोक्त क-1 अनुसार प्रमाण-पत्र तथा बिल्डिंग इन्फारमेंशन शिड्यूल का सुसंगत अंश अंकित होगा एवं अंतिम रूप से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 2001 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित स्वीकृति की शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी रखी जायेंगी :-

ख-1 भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में यह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएं करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गई है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

ख-2 भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियो, सीमेन्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईंटें, कोर्स सैण्ड एवं मार्टर तथा कन्ट्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रासायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहें ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये, तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

ख-3 निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ग- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में केवल पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

घ- कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट x 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से संबंधित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-

(1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
(2) अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
(3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
(4) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
(5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी.एण्ड पी. का विवरण।
(6) साइट इन्जीनियर इन्टसेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
(7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

शासनादेश सं. 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधे/2001 (आ.ब.) दिनांक 3 फरवरी, 2001 में उल्लिखित मानचित्र स्वीकृति की शर्तें-

1. किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग को कोस के प्राविधानों के अनुरूप अर्हता स्ट्रक्चरल इन्जीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।
2. निर्माण का सुपरविजन भी अर्हता वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
3. निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा, न करने दिया जायेगा।

शासनादेश संख्या - 772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 13 फरवरी, 2001 में उल्लिखित मानचित्र स्वीकृति की शर्तें -

1. भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में यह विशेष रूप से ये सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
2. भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियों, स्टील, स्टोनग्रिट, ईंटें, कोर्स सैण्ड एवं गार्टर तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रासायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
3. निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतन्त्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता/आबंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी, तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उनके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
5. कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट x 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम

इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न आलेख भी उपलब्ध रहेंगे -

क. नियम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

ख. अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।

ग. अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

घ. अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।

च. भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।

छ. साईट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

ज. सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

Annexure - C

(Certificate to be given in each building plan to be submitted for sanction)

It is hereby certified that the structural and foundation design of the building for which map and plans are submitted for approval satisfy the safety requirements as stipulated in the relevant Indian Standard Codes, guide lines and documents specified in Annexure-2 of Housing Department of Government of Uttar Pradesh vide G.O. No. 570/ 9-A-1-Bhookamp Rodhi/2001 (A.B.) Dated February 3, 2001.

Signature of Owner with date	Signature of the Structural Engineer who had prepared the design with date	Signature of the Architect who had Prepared the design with date
Name (Block)....................	Name (Block).....................	Name (Block)........................
Address :	Legible Seal:(with address)	COA Registration No.............
....		Legible Seal : (with address)

संख्या : 3751/9-आ-1-2001- भूकम्प रोधी/2001 (आय)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **समस्त उपाध्यक्ष**
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त अध्यक्ष**
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी,**
विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

5. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ.प्र. आवास संघ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2001

विषय : नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने हेतु 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स', 'साईट सिविल इंजीनियर्स' तथा विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स' की अर्हता का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के समस्त भूतल सहित 3 मंजिला से अधिक भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दो शासनादेश संख्या : 570/9-आ-1-2001 (आ.ब.), दिनांक : 03 फरवरी 2001 तथा शासनादेश संख्या : 772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.), दिनांक 13 फरवरी, 2001 पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं।

इन शासनादेशों में भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं की स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स' को अधिकृत किया गया था, जिनकी तकनीकी अर्हता सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के साथ-साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट रखी गयी थी। इसी प्रकार से निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु 'साईट सिविल इंजीनियर्स' की तैनाती की शर्त रखी गयी थी, जिनकी अहर्ता 3 वर्ष के भवन निर्माण कार्य के अनुरूप सहित सिविल इन्जीनियरिंग में स्नातक रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त निर्माण के दौरान अनुभवी सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों द्वारा निर्माण कार्यों का स्वतंत्र रूप से आकस्मिक निरीक्षण करने का भी प्राविधान किया गया है। इन विशेषज्ञ सिविल इंजीनियरों की अर्हता का निर्धारण उक्त दोनों शासनादेशों में नहीं किया गया था।

'स्ट्रक्चरल इंजीनियर' की इस प्रकार से निर्धारित की गयी तकनीकी अहर्ता में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट होने की शर्त शिथिल करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, निजी वास्तुविदों एवं प्रेक्टिसिंग सिविल इंजीनियरों से अनेकों प्रत्यावेदन प्राप्त हुये। इसी प्रकार से 'साईट सिविल इंजीनियर' की तकनीकी अर्हता के सम्बन्ध में भी सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होने की शर्त, शिथिलीकरण करने के लिए कुछ प्रत्यावेदन प्राप्त हुये। इन प्रत्यावेदनों तथा निर्माण कार्यों के परिणाम एवं उनकी तकनीकी विशिष्टता तथा भूकम्प की दृष्टि से उनकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये, सम्यक रूप से विचारोपरांत, पूर्व में निर्गत उक्त संदर्भित दोनो शासनादेशों में वर्णित निर्माण कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुये, प्रत्येक श्रेणी के निर्माण की स्ट्रक्चरल डिजाइन करने हेतु अधिकृत 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स', निर्माण कार्यों के स्थल पर्यवेक्षण हेतु 'साईट सिविल इंजीनियर' तथा निर्माण के दौरान निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु 'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स' की तैनाती हेतु उनकी अर्हताओं का निर्धारण तीन अलग-अलग परिशिष्टयों में किया गया है।

इन परिशिष्टयों में उल्लिखित पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रक्चरल इंजीनियर का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री के साथ-साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त तकनीकी योग्यता से है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से है।

अतः पूर्व निर्गत दोनों संदर्भित शासनादेशों में 'स्ट्रक्चरल इन्जीनियर' तथा साईट सिविल इन्जीनियर' की अर्हताओं में आंशिक संशोधन तथा 'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इन्जीनियर' की अर्हताओं का स्पष्ट निर्धारण करते हुये संलग्न तीन परिशिष्टयों (1, 2 व 3) में निर्धारित अर्हताओं के आधर पर 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर' को अधिकृत करने एवं 'साईट सिविल इंजीनियर' तथा आकस्मिक निरीक्षण हेतु 'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स' की तैनाती संबन्धी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक : परिशिष्ट (1-3)।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या : 3751(1)/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तरांचल प्रदेश-इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त शासनादेश में निहित सुरक्षात्मक प्राविधानों को उत्तरांचल प्रदेश में भी लागू करने हेतु विचार करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

संलग्नक : परिशिष्ट (1-3)

(टी.पी. पाठक)
विशेष सचिव

संख्या - 3751(2)/9-आ-1-भूकंम्परोधी/2001 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उनके आस्थानों एवं अवस्थापनाओं के निर्माण कार्यों में उपर्युक्त शासनादेश में निहित सुरक्षात्मक प्राविधानों के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं मानचित्रों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति हेतु कार्यवाही कराने के आदेश जारी करने का कष्ट करें।

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ.प्र. शासन।
4. सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
5. सचिव, नगरीय क्षेत्र, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

संलग्नक : परिशिष्ट (1-3)

(टी.पी. पाठक)
विशेष सचिव

संख्या : 3751(3)/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।
2. शासन में आवास विभाग के समस्त अनुभाग अधिकारी।
3. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
4. अनुभाग अधिकारी, आवास अनुभाग-1 को गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

संलग्नक : परिशिष्ट (1-3)

(टी.पी. पाठक)
विशेष सचिव

परिशिष्ट-1

निर्माण कार्य एवं भूकम्प जोन के आधार पर 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स' की अहर्ता का निर्धारण

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट इन्जीनियर अधिकृत होंगे	भूकम्पजोन जिसमें निर्माण स्थित होगें	अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बहुमंजिले भवनों एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के डिजाइन एवं निर्माण के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)		अन्य विवरण
			ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर के लिए	पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी. ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी. कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए	(1) जोन 3 तक	3	1	-
		(2) जोन 4 व 5	5	3	-
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए	(1) जोन 3 तक	7	5	-
		(2) जोन 4 व 5	9	7	-
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं	जोन 1 से 5 तक	10	8	स्ट्रक्चरल डिजाइन को आई.आई.टी. रूड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थानों के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराना होगा।

परिशिष्ट-2

निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु 'स्थल सिविल इन्जीनियर्स' (Site Civil Engineers) की आहर्ता

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट साईट इन्जीनियर अधिकृत होंगे	भूकम्पजोन जिसमें निर्माण स्थित होगें	अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बहुमंजिले भवनों एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के डिजाइन एवं निर्माण के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में) डिप्लोमा सिविल इंजीनियर	ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर	अन्य विवरण
1	2.	3.	4.	5.	6.
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी. ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी. कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/ महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए	(1) जोन 3 तक	3	1	प्रत्येक 2500 वर्ग मीटर एरिया के पर्यवेक्षण हेतु निर्दिष्ट अर्हता के एक साइट इन्जीनियर की तैनाती करनी होगी
		(2) जोन 4 व 5	10	5	
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/ महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए	(1) जोन 3 तक	अधिकृत नहीं	6	तदैव
		(2) जोन 4 व 5	तदैव	10	-
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं	जोन 1 से 5	तदैव	15	तदैव

Process No. UPHDB/PM/ENG/	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

परिशिष्ट–3

'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स' (Expert Inspecting Civil Engineers) का वर्गीकरण

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसके लिए कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट विशेषज्ञ सिविल इन्जीनियर निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु अधिकृत होंगे	भूकम्पजोन जिसमें निर्माण स्थित होगें	ग्रेजुएट सिविल इन्जीनियर का बहुमंजिलें भवनों एव सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)	अन्य विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी. ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी. कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए	(1) जोन 3 तक	5	
		(2) जोन 4 व 5	7	
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए	(1) जोन 3 तक	8	
		(2) जोन 4 व 5	10	
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिलें भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।	जोन 1 से 5	15	इन निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु दो सेवारत/सेवानिवृत्त विशेषज्ञों का संयुक्त पैनल तैनात किया जाएगा, जिसमें एक विशेषज्ञ कम से कम प्रदेश/केन्द्र सरकार के किसी अभियन्त्रण विभाग/उपक्रम के मुख्य अभियन्ता/समकक्ष स्तर का रहा हो, तथा दूसरा विशेषज्ञ यथा सम्भव किसी निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर स्तर का होगा, जिनके उपलब्ध न होने पर दोनों विशेष मुख्य अभियन्ता/समकक्ष स्तर के रहेंगें।

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/12
	विषयः निर्माण/विकास कार्यो के निरीक्षण के संबंध में ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page 1 of 1	

प्रायः देखा गया है कि अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता कार्य स्थल पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यो के निरीक्षण से सम्बन्धित निरीक्षण टिप्पणियाँ निर्गत नही करते हैं, जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ स्टाफ एवं ठेकेदारों द्वारा निर्माण/विकास कार्यो की प्रगति एवं गुणता के सम्बन्ध में वांछित प्रयास तथा आवश्यक सतर्कता नही बरती जा रही है । इसके अतिरिक्त कार्य स्थल पर निरीक्षण के दौरान जब अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं से उनके लिए निर्धारित किये गये मासिक लक्ष्यों के विरूद्व उपलब्धियों के सम्बन्ध में वार्ता होती है तो उनके द्वारा मासिक लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त की जाती है ।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में निम्नवत् आदेश दिये जाते है ।

1– परिषद की गुणवत्ता नीति की पूर्ति हेतु निर्माण एवं विकास कार्यो के स्थलीय निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किये जाने संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 1578/एम–2/4 दि0 3.6.1991 का अतिक्रमण करते हुए ग्राहक को अच्छे व टिकाऊ भवन उपलब्ध कराये जाने हेतु एतदद्वारा यह आदेश दिये जाते हैं कि अधिशासी अभियन्ता अपने अधीनस्थ सम्पादित कराये जा रहे प्रत्येक कार्य(अनुबन्धवार) का निरीक्षण माह में कम से कम दो बार अवश्य करेगें तथा अधीक्षण अभियन्ता अपने अधीनस्थ सम्पादित कराये जा रहे कार्यो का निरीक्षण माह में एक बार यथासम्भव करेगें जिसकी निरीक्षण टिप्पणी अवश्य जारी की जाये। निरीक्षण के समय अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता क्वालिटी मैनुअल में निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण सामग्रियों के नमूने भी लेगें। अधिशासी अभियन्ता निरीक्षण टिप्पणी की प्रति, उप निदेशक गुण नियंत्रण एवं अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित करेगें तथा अधीक्षण अभियन्ता, निरीक्षण टिप्पणी की प्रति, मुख्य अभियन्ता व निदेशक, गुण नियंत्रण कोष्ठ को प्रेषित करेगें। आवश्यकतानुसार मुख्य अभियन्ता भी कार्यो का निरीक्षण करेगें। सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निरीक्षण टिप्पणी के अन्त में बिन्दुवार करेक्टिव/प्रीवेन्टिव निर्देश जारी किये जायें।

2– अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता वृत्त/खण्ड के लिये निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की मासिक फाट प्रत्येक सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें ताकि उनके द्वारा निर्माण/विकास कार्यो में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियों एवं लेबर इत्यादि की व्यवस्था समय से की जा सके ।

3– अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता अपने निरीक्षणों में अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं के लिये निर्धारित मासिक लक्ष्य के विरूद्व प्राप्त की गयी उपलब्धियों का मूल्यॉकन करके उन्हें चार श्रेणियों ए/बी/सी/डी में से एक श्रेणी में वर्गीकृत करके प्रत्येक माह उन्हें सूचित करेगें । उपलब्धियों का मूल्यॉकन श्रेणीवार निम्नवत् किया जा सकता है ।

1–	100 प्रतिशत या इससे अधिक उपलब्धियों पर	श्रेणी–ए
2–	75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत उपलब्धियों पर	श्रेणी–बी
3–	50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत उपलब्धियों पर	श्रेणी–सी
4–	50 प्रतिशत से कम उपलब्धियों पर	श्रेणी–डी

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

PROCESS NO. UPHDB/PM/ENG/25 PREV.ORDER NO. 2122/M-2/5 Dt. 7-7-90	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.: UPHDB./OO/ENG/13
	विषय:परिषद योजनाओं में पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था हेतु नलकूपों, अवर जलाशयों के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यो के सम्बन्ध में	Revision No.: 00
		Effective Date: 1.4.2004
		Page 1 of 3

परिषद द्वारा विकसित की जा रही आवासीय योजनाओं में पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था हेतु नलकूपों , अवर जलाशयों का निर्माण तथा तत्संबंधी अन्य कार्य परिषद द्वारा ही कराये जा रहें है । परिषद की योजनायें जिनमें लखनऊ स्थित हरदोई रोड एवं वृन्दावन जैसी वृहद योजनायें भी शामिल है, जो अभी तक जल संस्थान या स्थानीय निकायों को हस्तगत नहीं की जा सकी हैं में नलकूपों, अवर जलाशयों तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स आदि के रखरखाव का कार्य भी आवास परिषद द्वारा ही कराया जा रहा है । योजनाओं के तीव्र गति से विकास के कारण जल वितरण व्यवस्था एवं उसके अनुश्रवण का कार्य भी काफी बढ़ा है एवं यह परिषद द्वारा ही कराया जा रहा है।

परिषद द्वारा विकसित योजनाओं में अपने जल उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं स्वास्थ्य वर्धक तथा प्रदूषण रहित पेयजल उपलब्ध कराना परिषद का ही दायित्व है ।अतः वर्तमान समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

सामान्य रूप से डीप ट्यूबवेल्स का जल आवश्यक क्लोरीनेशन के उपरान्त पेय योग्य माना जाता है एवं वर्तमान में यह प्रकिया अपनायी भी जा रही है । परन्तु बदलते वातावरण एवं प्राकृतिक जल श्रोतों में बढते हुये सम्भावित प्रदूषण को देखते हुये पेयजल पर आवश्यक निगरानी एवं देखरेख की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नलकूपों से निकाला गया जो जल उपभेक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है वह पेय योग्य हो ।

अतः जिन योजनाओं की पेयजल व्यवस्था आदि के रखरखाव का कार्य परिषद द्वारा कराया जा रहा है उनमें उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के आदेश दिये जाते है ।

1. किसी भी नवनिर्मित नलकूप का उपयोग पेयजल हेतु तब तक न किया जाये जब तक उस नलकूप के जल का रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण अधिकृत संस्था द्वारा न करा लिया जाये एवं दोनो परीक्षण रिपोर्ट पेयजल के निर्धारित नार्म्स एवं मापदण्डों के अनुरूप हों । इसके लिये नवविकसित नलकूप का जल सैम्पल फाइनल डिसचार्ज टेस्टिंग के समय ही जीवाणु तथा रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य स्वास्थ्य संस्थान लखनऊ को भेज दिया जाये एवं आवश्यक शुल्क आदि जमा कराने के उपरान्त वहां से परीक्षण आख्या प्राप्त की जाये । जल परीक्षण आख्या अन्यथा प्राप्त होने पर शासन के उपरोक्त विभाग से विशिष्ट सुझाव मांग कर ही आगे कार्यवाही की जाये ।

Revised Order No. 3208/M-2/47 Dated 8.9.87	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

2. सामान्य रूप से नलकूपों पर पम्पिंग प्लान्ट स्थापित होने के साथ ही प्रत्येक नलकूप पर उपयुक्त क्षमता के क्लोरीनेटर्स या क्लोरीनडोजर्स स्थापित कराये जायें । 1200 से 1500 एल.पी.एम. क्षमता वाले नलकूपों के क्लोरीनेटर्स में प्रतिदिन 3 से 4 किलोग्राम स्टेबिल ब्लीचिंग (33 से 36 प्रतिशत क्लोरीन युक्त) की मात्रा का घोल डाला जाना सुनिश्चित किया जाये और यह भी देखा जाये कि सामान्य रूप से क्लोरीनेटर्स ठीक कार्य कर रहें है । ब्लीचिंग घोलने एवं क्लोरीनेटर्स की देखरेख की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित आपरेटर्स को सौंपी जाये । इसकी मानिटिरिंग के लिये भी उचित व्यवस्था की जाये । इस सम्भावना पर भी गम्भीरता से विचार किया जाये एवं सुझाव रखे जायें कि क्लोरीनेशन की व्यवस्था एक स्थान अर्थात अवर जलाशय के माध्यम से हो यह अधिक प्रभावी साबित होगा ।

3. यह सुनिश्चित करने के लिये कि पेयजल में घुलनशील क्लोरीन की मात्रा आवश्यक अनुपात में उपलब्ध है, उपभोक्ताओं के भवनों से कुछ नमूने लेकर साधारण रासायनिक परीक्षण कराये जायें । प्रारम्भिक छोर पर क्लोरीन की वांछित मात्रा सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक अवर जलाशय के निकट डिस्ट्रीब्यूशन मेन में हाइ प्रेशर टैप्स लगवा दिये जाये । इसके लिये यदि आवश्यक हो तो लैब टेक्नीशियन या लैब आदि की भी व्यवस्था करायी जाये । सामान्य रूप से पेयजल में 0.2 पी.पी.एम. से 0.5 पी.पी.एम घुलनशील क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिये जिसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाये ।

4. जोनवार जल परीक्षण हेतु प्रत्येक जोन के किसी एक बिन्दु से जल के नमूने रसायनिक एवं जीवाणु परीक्षण हेतु राज्य स्वास्थ्य संस्थान को क्रमशः प्रत्येक तीन माह एवं एक माह के अन्तराल पर अवश्य भेजे जायें । पानी के नमूने लेने के संबंध में निम्न प्रकिया अपनाई जाये :

अ जीवाणु परीक्षण प्रति माह (प्रत्येक जोन से)

ब रासायनिक परीक्षण प्रति– 3 माह ।

प्रत्येक अवसर पर परीक्षण के नमूने लेने का स्थान बदलते रहा जाये जिससे संबंधित जोन के प्रत्येक क्षेत्र में वितरित जल की रिपोर्ट उपलब्ध रहें । प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त विभाग से आवश्यक सुझाव प्राप्त करके ही घुलनशील की मात्रा सुनिश्चित की जाये ।

5. राइजिंग मेंस डिस्ट्रीब्यूशन मेंस में लीकेज या अवर जलाशयों के गंदगी के कारण जीवाणुओं के पाइप लाइन में प्रवेश की सम्भावनायें काफी बढ़ जाती है । अतः पाइप लाइनों के लीकेजेज को कंट्रोल करने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाये अन्यथा केवल क्लोरीनेशन से यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं होगा कि जल पेय योग्य है इसके लिये यह आवश्यक है कि पाइप लाइन की समय समय पर

हाइड्रालिक टेस्टिंग भी की जाये जिससे सभी प्रकार के लीकेजेज को लोकेट करने एवं उन्हें समय पर ठीक कराने में सुविधा रहे ।

अवर जलाशय की समय–समय पर सफाई न होने से भी जीवाणुओं के जल में मिल जाने की सम्भावना बनी रहती है । अतः यह आवश्यक है कि अवर जलाशयों की सफाई प्रत्येक तीन माह नियमित रूप से करायी जाये इसके लिये यह भी आवश्यक है कि सफाई के उपरान्त अवर जलाशय को ब्लीचिंग के घोल से भलीभांति साफ किया जाये ।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये ।

Revised Order No. 3208/M-2/47 Dated 8.9.87	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/14
	विषयःअवर अभियन्ताओं / सहायक अभियन्ताओं द्वारा एम.ए.एस. / मिसलेनियस एडवांस स्टाक इत्यादि पूर्ण कराने के सम्बन्ध में ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.1.2004
		Page 1	of 1

यह जानकारी में आया है कि अधिकांश खण्डों के अवर अभियन्ताओं /सहायक अभियन्ताओं द्वारा एम०ए०एस० / मिसलेनियस एडवांस तथा स्टाक से सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण नहीं करायी गयी है। जिसके कारण लेखा समायोजन के अंतिम बिलों का भुगतान इत्यादि में बाधा पहुंच रही है अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से उपरोक्त विषयों पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए वांछित कार्यवाही अतिशीघ्र करायें जो अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता उपरोक्त विषयों पर समुचित कार्यवाही करने में रूचि न लें उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे उचित होगा कि अधिशासी अभियन्ता अपने खण्ड में उपरोक्त विषयों की स्थिति की समीक्षा अपने सहायक अभियन्ताआं तथा सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार के साथ माह में एक बार विस्तार से कर लिया करें तथा प्रभावी कार्यवाही की रूपरेखा समयबद्ध कार्यक्रम के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करें, जो लेखा खण्ड कार्यालय में जमा किया जा चुका है उसका समायोजन करना व्यक्तिगत रूप से सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार का दायित्व है । अधिशासी अभियन्ता यह देखें कि सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार लेखा समायोजन में पर्याप्त रूचि लेते हैं या नही । समायोजन से सम्बंधित अन्य लिपिक वर्गीय स्टाफ को भी आवश्यक निर्देश दे दिये जायें । यदि उनके द्वारा समायोजन सम्बन्धी कार्यवाही में पर्याप्त रूचि न दिखायी जाय तो उनके विरूद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जाये। अधीक्षण अभियन्ताओं का यह दायित्व है कि वे वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अनुसार अपने अधीनस्थ प्रत्येक खण्ड का वर्ष में एक बार कार्यालय का सम्पूर्ण रूप से निरीक्षण अवश्य करें तथा खण्ड की कार्यप्रणाली को चुस्त –दुरूस्त रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही करें कार्यालय निरीक्षण के समय ऐसे विषयों पर जिसमें अवशेष कार्य अधिक हो अवशेष निस्तारण हेतु तथा दोषीं कर्मचारियों एवं अधिकारियों से अनुपालन कराने पर विशेष बल दिया जाये यदि पर्याप्त चेतावनी देने के बाद भी कोई कर्मचारी एवं अधिकारी अपने दायित्व का भली प्रकार पालन नही करता है तो ऐसे कर्मचारियों / अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं कराना मुख्य रूप से अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व है। अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि लिखते समय यह ध्यान रखें कि सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने उसके एरियर कार्यो को निपटाने में पर्याप्त रूचि ली है तथा अपने समय के कार्यो को भी नियमित रूप से निपटाने का प्रयास किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न खण्डों में भारी मात्रा में अंतिम देयक भुगतान हेतु लंबित है इस सम्बंध में कुछ दिन पूर्व अलग से समुचित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है, आपको पुनः यह सूचित किया जाता है कि अंतिम बिलों के निस्तारण में विलम्ब के कारण ठेकेदारों में अनावश्यक रूप से असंतोष व्याप्त होता है तथा उन्हें इस कार्य के लिये मुख्यालय के उच्चाधिकारियों के पास भाग दौड़ अनावश्यक रूप से करनी पड़ती है।भविष्य में किसी विषम स्थिति से बचने के लिये अंतिम बिलों के निस्तारण पर भी विशेष रूप से बल दिया जाये। अधीक्षण अभियन्ताओं को प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार लेखा समायोजन अंतिम बिलों के भुगतान इत्यादि के विषय में प्रत्येक खण्ड की कम से कम एक बार अधिशासी अभियन्ता तथा खण्ड के सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार को बुलाकर विस्तार में समीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए । कृपया उपरोक्त आदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, उपराक्त आदेशों से समस्त अवर अभियन्ताओं / सहायक अभियन्ताओं /सहायक लेखाधिकारियों / लेखाकार / लेखा लिपिक को भी भली प्रकार अवगत करा दिया जाये।

Previous Order No.	Prepared by	Reviewed by	Approved by
3444/M-2 /52 Dated 20,10,87	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/15
	विषयः परिषद योजनाओं में रिक्त पड़ी भूमि के चारो ओर बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page 1 of 1	

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि परिषद की जिन योजनाओं में रिक्त भूमि पड़ी हुई है उसके चारों ओर बगैर किसी स्वीकृति के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण परिषद के विभिन्न खण्डों द्वारा कराया जा रहा है ।

वर्तमान में परिषद की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते है कि योजना के अन्तर्गत जहॉ कहीं भी परिषद भूमि पर चारों ओर बाउन्ड्रीवाल बनाया जाना नितान्त आवश्यक हो उसकी स्वीकृति पूर्ण औचित्य सहित विस्तृत प्राक्कलन भेजकर मुख्यालय से प्राप्त कर ली जाय तथा किसी भी दशा में बिना मुख्यालय की स्वीकृति के योजना की रिक्त भूमि के चारां ओर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य न कराया जाय ।

Previous Order No. 3468 Dated 11.11.93	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.: UPHDB./OO/ENG/16
	विषयः निविदा प्रपत्रों के विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में ।	Revision No.: 00
		Effective Date: 1.4.2004
		Page 1 of 1

आवास आयुक्त (म0) के आदेशान्तर्गत निविदा प्रपत्रों के विक्रय हेतु पूर्व में जारी आदेशों का अतिक्रमण करते हुए निम्न संशोधित दरें जो उ0 प्र0 शासन सामग्री क्रय अनुभाग के आदेश सं0-2204/एल/10 एम0एस0-2(जी-5/94 उद्योग अनुभाग-7 दिनांक 2 नवम्बर 1993 द्वारा जारी की गई हैं, को परिषद में लागू किया जाता है ।

क0सं0	मद	निविदा की लागत	निविदा प्रपत्र विक्रय मूल्य
1	टेन्डर फार्म	रु. 1.00 लाख तक	रु. 50.00
		रु. 2.50 लाख तक	रु. 75.00
		रु. 5.00 लाख तक	रु. 150.00
		रु. 15.00 लाख तक	रु. 225.00
		रु. 15.00 लाख से अधिक	रु. 300.00
2	दर अनुबन्ध	–	रु. 300.00

Previous Order No. 2086/M-2/15 Dated 27.8.94	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.: UPHDB./OO/ENG/17
	विषय:परिषद की खण्ड/निर्माण इकाईयों तथा इनमें कार्यरत स्टाफ के मध्य कार्यो के विभाजन के सम्बन्ध में	Revision No.: 00
		Effective Date: 1.4.2004
		Page 1 of 1

इस कार्यालय के आदेश संख्या 87/एच54/1 दिनांक 6.1.81 में आंशिक संशोधन करते हुये खण्ड/निर्माण इकाइयों में नियुक्त स्टाफ तथा वृत्त के अर्न्तगत खण्ड/निर्माण इकाइयों के मध्य कार्यो के विभाजन के विषय में निम्न सामान्य नीति अपनायी जायेगीं।

1. खण्ड/निर्माण इकाइयों के अधीन सहायक अभियन्ताओं तथा अवर अभियन्ताओं के मध्य कार्यो का विभाजन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा जिसकी सूचना संबंधित अधीक्षण अभियन्ता को भिजवायी जायेगी ।

2. वृत्ताधीन खण्ड/निर्माण इकाइयों के मध्य कार्यो का विभाजन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा जिसकी सूचना मुख्य अभियन्ता को भिजवायी जायेगी ।

3. यदि विभाजन के लिये अधिकृत अधिकारी के उच्चाधिकारो को इंगित विभाजन किन्हीं कारणों से मान्य नहीं होगा तो वह इच्छित संशोधन के आदेश देगा जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा ।

Previous Order No. 965/E-9/42 Dated 23.3.1985	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/18
	विषयः परिषद की योजनाओं में शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य संस्थाओं को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page	1 of 2

बल्क सेल के माध्यम से शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न समिति गठित की जाती है :-

1- मुख्य वास्तुविद नियोजक
2- मुख्य अभियन्ता
3- वित्त नियंत्रक
4- सम्बन्धित संयुक्त आवास आयुक्त
5- अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट) संयोजक

यह समिति बल्क सेल के अन्तर्गत विक्रय की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रेषित करेगी । समिति की संस्तुति में भूमि के मूल्य, विक्रय की अन्य शर्तो आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा । समिति को प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्न सूचनाओं का उल्लेख आवश्यक होगा ।

1- प्रश्नगत संस्थाओं का प्रार्थना पत्र ।
2- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता की प्रस्ताव पर स्पष्ट संस्तुति । यदि सम्पत्ति पूर्व में अथवा भाग में सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी को आवंटन हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है तो अधिशासी अभियन्ता सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से इस सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें कि प्रश्नगत भूमि का कोई भाग आवंटित तो नही किया जा चुका है। ऐसी हालत में संस्तुति पर सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी के हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायें ।
3- योजना का ले आउट प्लान जिसमें सम्बन्धित भूमि दर्शायी गयी हो एवं यदि कोई वैकल्पिक प्रस्ताव भी हो तो वह भी ले आउट प्लान में दर्शाया जाये ।
4- प्रस्ताव के साथ प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित एफ0ए0आर0, लैन्डयूज कवरेज आदि का विवरण भी स्पष्ट दिया जाये ।
5- मूल्यॉकनः- यदि योजना की भूमि दर का मूल्यॉकन न हुआ हो तो अधीक्षण अभियन्ता प्रस्ताव के साथ ही टेन्टेटिव मूल्यॉकन प्रस्तुत करेगें । भूमि का प्रस्ताव निर्धारित मूल्यॉकन गाइड लाइन्स के अनुसार मूल्यॉकन अनुभाग द्वारा प्राथमिकता पर किया जायेगा जिससे कि समिति भूमि के मूल्य के बारे में विचार विमर्श कर सके ।
6- आवंटन की शर्तो एवं भुगतान की शर्तो पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

बल्क सेल के अन्तर्गत भूमि विक्रय की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में परिषद की बैठक दिनांक 17.10.92 के संकल्प संख्या – चतुर्थ (24)/92 में निम्नवत् प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ दिया गया है कि "बल्क सेल हेतु प्रस्तावित दरें केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं को ही भूमि आवंटित करने के लिए होगी तथा यह दरें निजी निर्माताओं व निजी संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के लिए लागू नही होगीं।

क0सं0	भूमि का विवरण	कार्यालय प्रयोग अथवा कार्यालय एवं आवासीय प्रयोग हेतु (संयुक्त रूप से)	केवल आवासीय प्रयोग हेतु
क	एक एकड़ तक	योजना में स्वीकृत आवासीय दर का 1.5 गुना	योजना में स्वीकृत आवासीय दर पर (1.0 गुना)
ख	एक एकड़ से अधिक पॉच एकड़ तक 1- प्रथम एक एकड़ 2- एक एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि	 1.5 गुना 1.25 गुना	 1.0 गुना 0.90 गुना

Related Process	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/ENG/ Previous Order No. 1437/M-73/13 dated 18.5.91 995/W-14/13 Dated 28.11.92 173/स.प्र.-3/सं.आ.आ./पी.एस. दिनांक 3.4.91	S.E.(P)	C.E	H.C

ग	पॉच एकड़ से अधिक 20 एकड़ तक 1– प्रथम एक एकड़ 2– एक एकड़ से अधिक अतिरिक्त पॉच एकड़ तक भूमि	 1.5 गुना 1.25 गुना	 1.0 गुना 0.90 गुना
3	पॉच एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि	1.0 गुना	0.80 गुना

1– 20 एकड़ से अधिक भूमि हेतु प्रश्नगत भूमि के वास्तविक मूल्यॉकन के आधार पर दरें निर्धारित की जायेगी ।

2– बल्क सेल के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार भूमि दिये जाने पर किसी प्रकार की अतिरिक्त कार्नर चार्जेज हेतु धनराशि नही ली जायेगी।

3– परिषद योजना में परिषद से बल्क सेल के अन्तर्गत भूमि लेने तथा परिषद के निर्माण एवं विकास कार्यो को डिपाजिट कार्य के रूप में कराने की स्थिति में डिपाजिट कार्य की सेन्टेज चार्जेज पर परिषद द्वारा 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।

4– उपरोक्तानुसार दरों के आधार पर भूमि लागत का आक्कलन करके उस पर एक वर्ष दर की बढ़ोत्तरी 16 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि शामिल करके सम्बन्धित संस्थाओं को आफर दिया जायेगा और यह आफर उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक वैध होगा जिस वर्ष की भूमि दर के आधार पर भूमि लागत की गणना की गयी है । जिन संस्थाओं द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया जायेगा, उन्हें 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।

5– संस्थाओं को भूखण्ड का कब्जा परिषद को वांछित समस्त भुगतान प्राप्त पर ही दिया जायेगा ।

7– लीजरेन्ट भूमि लागत का 10 प्रतिशत की दर से नियमानुसार एक मुश्त अतिरिक्त देय होगा ।

8– उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य बिन्दु/प्रकरण आता है तो स्वीकृत मूल्यॉकन गाइड लाइन के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

Related Process	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/ENG/ Previous Order No. 1437/M-73/13 dated 18.5.91 995/W-14/13 Dated 28.11.92 173/स.प्र.–3/सं.आ.आ./पी.एस. दिनांक 3.4.91	S.E.(P)	C.E	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/ 19
	विषयः विकलांगों के लिए प्राविधानों के सम्बन्ध में ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.6.2004
		Page	1 of 1

यह देखने में आ रहा है कि परिषद में विकलांगों के लिये आरक्षित कोटे में जो सम्पत्तियॉ उनको आवंटित की जाती है उनका कोई अभिलेख अलग से नहीं रखा जा रहा है और न ही विकलांगों के परिषद कार्यालय में आने पर संबंधित अधिकारियों से मिलने की कोई व्यवस्था है जिसके कारण उनको परिषद कार्यालयों में आने एवं संबंधित अधिकारी से मिलने में असुविधा होना स्वाभाविक है।

अतः उपरोक्त के संबंध में आदेश दिये जाते हैं कि परिषद के सभी कार्यालयों में विकलांगों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव अलग से किया जाय। विकलांग कोटे के अन्तर्गत रिक्त सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय। परिषद कार्यालयों में उनके पहुंचने के लिये एक रास्ता रैम्प बनाकर दिया जाय। विकलांगों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको हरसम्भव सहायता दी जाय और कार्यालय अध्यक्ष अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने हेतु संवेदनशीलता सुनिश्चित करें। सभी कार्यालयों में उपरोक्त से संबंधित बोर्ड भी तत्काल लगवा दिये जायें।

Refer to process no. Miscllenеous	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/ 21
	विषयः सामग्रियों की ब्रान्ड/मेक निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.7.2004
		Page	1 of 1

निर्माण एवं विकास कार्यो में उपयोग की जाने वाली मुख्य मुख्य सामग्रियों की ब्रान्ड/मेक निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एवं कन्सलटेन्सी सेल तथा निदेशक, गुण नियंत्रण कोष्ठ एवं अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत वृत्त) की संस्तुतियों के आधार पर कार्यालय आदेश संख्या 919/एम–47/अभि0अनु0 (मानी0)/16 दिनांक 25.2.2004 से अनुमोदित की गई है ।

निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एवं कन्सलटेन्सी सेल तथा निदेशक, गुण नियंत्रण कोष्ठ की संस्तुतियों के आधार पर निम्न सामग्रियों को भी ब्रान्डेड मैटीरियल की लिस्ट में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जाती है । भविष्य में निर्माण एवं विकास कार्यो में निम्न ब्रान्ड की सामग्रियों को भी प्रयोग में लाया जाय ।

1– मेसर्स डोर (इण्डिया) लिमिटेड के प्रोडेक्टस "आई0एस0आई0 मार्कड कामर्शियल फ्लश डोर शटर्स एवं प्लाईवुड"।

2– "आई0एस0आई0 मार्कड एल0 एण्ड टी0 ब्रांड सीमेन्ट"।

Refer to process no.UPHDB/PM/ ENG/24	Prepared by	2Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C 21.6.2004

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/23
	विषय : कार्यो पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त कन्टीजेन्सी के प्राविधान के सम्बन्ध में	Revision No.:	00
		Effective Date:	20.7.2004
		Page 1 of 1	

यह संज्ञान में आया है कि गत कुछ वर्षो से आवंटन आदि के प्रचार--प्रसार हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर जो व्यय हो रहा है, वह रेवेन्यू मद को डेबिट (Debit) हो जाता है। अतः इसकी प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक प्राविधान कार्यो के प्राक्कलन में किये जाने होगें ताकि तदानुसार इस मद पर व्यय का समावेश कार्यो के मूल्यांकन में हो सके। अतः आदेश दिये जाते हैं कि निर्माण एवं विकास कार्यो के विस्तृत प्राक्कलनों में पूर्व स्वीकृत 6 प्रतिशत कन्टीजेन्सी के अतिरिक्त, विज्ञापन आदि के प्राविधान हेतु 0.50% अतिरिक्त कन्टीजेन्सी ली जाय । इस प्रकार निर्माण एवं विकास कार्यो पर कुल 6.50% की दर से कन्टीजेन्सी का प्राविधान विस्तृत प्राक्कलन एवं मूल्यॉकन में किया जाय ।

Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/ 21	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E	H.C

परिषद की योजनाओं में अनाधिकृत निर्माण/अतिकमण को रोकने व इन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 1189/प्रशा0-एक दिनांक 19.7.1997, 1943/एम-64 दिनांक 29.5.2001, 1511/एम-64 दिनांक 4.5.2001, 3638/एम-64 दिनांक 7.9.2001, 139/एम-64 दिनांक 8.1.2002 तथा 1472/एम-64 दिनांक 17.4.2002 जारी किये गये हैं तथा परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों की उत्तरदायित्व भी निर्धारित किये गये हैं ।

उक्त आदेशों के उपरान्त भी यह देखने में आ रहा है कि परिषद द्वारा अधिग्रहित योजनाओं में अनाधिकृत निर्माण/अतिकमण लगातार हो रहे हैं तथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से नही किया जा रहा है । वृहद स्तर पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण एवं अतिकमण पर शासन स्तर से भी चिन्ता व्यक्त की गई है तथा इस आशय के निर्देश दिये गये है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यकाल में इस प्रकार के अनाधिकृत निर्माण किये गये हैं उनके विरूद्व कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा विगत वर्षो के जो अधिकारी तैनात रहे हैं उनके बारे में सूचना संकलित कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। इस सम्बन्ध में गत पॉच वर्षो में हुए अतिकमण एवं अनाधिकृत निर्माणों की अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर समीक्षा की जाय और उत्तरदायित्व निर्धारित कर एक माह के अन्दर सूचना उपलब्ध करायी जाय ।

यह आवश्यक है कि परिषद योजनाओं में भूमि अधिग्रहण हेतु धारा-28 के नोटीफिकेशन से ही अतिकमण/अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रीवेन्टिव पार्ट **(Preventive Part)** प्रभावी ढंग से किया जायेगा ताकि अनअथराइज्ड कन्स्ट्रक्शन न होने पाये । इस सम्बन्ध में निम्न आदेश दिये जाते हैं :-

1- धारा-28 के नोटिफिकेशन के तुरन्त बाद योजना क्षेत्र में इस आशय के नोटिस बोर्ड लगा दिये जाये कि योजना क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण एवं अतिकमण प्रतिबन्धित होगें तथा जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उन व्यक्तियों के विरूद्व परिषद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । इस आशय की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दी जाय ।

2- योजना क्षेत्र में अतिकमण/अनाधिकृत निर्माण को प्रारम्भिक स्तर पर ही रोकने के लिए योजना क्षेत्र को सेक्टरों में विभाजित करते हुए अवर अभियन्ता के अधीन आवश्यकतानुसार वर्कचार्ज/मस्टररोल कर्मचारियों की ड्यूटी लिखित रूप से लगा दी जाय जिनका यह दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत/अवैध निर्माण प्रारम्भ होने की स्थिति में अनाधिकृत/अवैध निर्माण को रोकने का पूर्ण प्रयास करेगें तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायेगें एवं उसकी तत्काल सूचना सम्बन्धित अवर अभियन्ता (इंचार्ज) को देगें । इसके लिए अवर अभियन्ता (इंचार्ज) अपने स्तर पर एक रजिस्टर मेनटेन भी करेगें ।

3– अवर अभियन्ता (इंचार्ज) सूचना प्राप्त होते ही अनाधिकृत/अवैध निर्माण को रोकने का पूर्ण प्रयास करायेगें तथा सम्बन्धित थाने के प्रभारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अनाधिकृत/अवैध निर्माण को रूकवायेगें एवं इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (इंचार्ज) को देगें ।

4– सहायक अभियन्ता (इंचार्ज) सूचना प्राप्त होते ही आवश्यक पुलिस बल प्राप्त कर अनाधिकृत/अवैध निर्माण को रोकने/हटवाने का पूर्ण प्रयास करेगें तथा इसकी सूचना सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (इंचार्ज) को देगें ।

5– सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता से सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर आवश्यक पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती करवाते हुए अनाधिकृत/अवैध निर्माण को हटवाने का प्रयास करेगें तथा इसकी सूचना सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं संयुक्त आवास आयुक्त को देगें जो जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियें से सम्पर्क कर आवश्यक पुलिस बल व मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित करते हुए अनाधिकृत/अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटवायेगें ।

6– योजना क्षेत्र में अनाधिकृत/अवैध निर्माण एवं अतिकमण की समीक्षा अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर प्रतिदिन, मुख्य अभियन्ता स्तर पर साप्ताहिक, अपर आवास आयुक्त के स्तर पर माह में दो बार तथा आवास आयुक्त के स्तर पर मासिक समीक्षा की जायेगी ।

7– योजना में अनाधिकृत निर्माण/कब्जों को रोकने तथा कागजी कब्जा मिलने के तत्काल बाद विकास कार्य प्रारम्भ कराने तथा योजना का विस्तृत सर्वे करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 1056/डब्लू–368/3 दिनांक 25.4.84 एवं 2670/डब्लू–143/17 दिनांक 17.8.84 से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में कमशः रु. 500.00 एवं रु. 100.00 के स्थान पर कमशः रु. 2000.00 प्रति एकड़ एवं रु. 400.00 प्रति एकड़ की दर से व्यय किये जाने की अनुमति इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि योजना पर किया गया व्यय योजना के विकास कार्यो के प्राक्कलन जोकि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुमोदित किया जाता है, में उल्लिखित कुल धनराशि के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। शेष शर्ते/प्रतिबन्ध संदर्भित कार्यालय आदेशों के अनुसार होगी।

8– यदि इसके पश्चात भी योजना क्षेत्र में अनाधिकृत/अवैध निर्माण एवं अतिकमण होते हैं तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वे स्वंय उत्तरदायी होगें ।

Refer to process no. Misclleneous	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव/स्टाफ आफिसर ।

2- मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/वित्त नियंत्रक ।

3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक ।

4- समस्त अधिशासी अभियन्ता/समस्त वास्तुविद नियोजक ।

Refer to process no. Miscllenous	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/ 26
	विषयः सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्राविधान के सम्बन्ध में ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	17.8.2004
		Page 1 of 2	

आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित/निर्मित कालोनियों में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, कूडाघर तथा सैनेटरी लैण्डफिल की उचित व्यवस्था नही की जा रही है जिसके कारण शहरों में अनेक समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं । हालॉकि उक्त कार्य मूलतः नगर विकास विभाग का है लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में परिषद द्वारा जो भी कालोनियॉ विकसित की जायेगी उनमें उक्त सभी व्यवस्थाओं की समुचित व्यवस्था की जायेगी । यथासंभव हर कालोनी के लिए छोटे–छोटे नवीन तकनीक पर आधारित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाये जायेगें ताकि सीवेज का समुचित निस्तारण हो सके तथा जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके ।

इसी प्रकार सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की सुनिश्चित व्यवस्था कराना अपरिहार्य है । जिसके लिए आवासीय कालोनियों में विभिन्न स्थानों पर कूडा संग्रह हेतु भवन निर्मित किये जायें । इस वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में निम्न योजनाओं में कूडा संग्रह भवनों का प्राविधान करने का निर्णय लिया गया है ।

1–	पाण्डेपुर योजना वाराणसी	–	01
2–	मुजफ्फरनगर योजना	–	01
3–	हरदोई रोड योजना, लखनऊ	–	04
4–	वृन्दावन योजना, लखनऊ	–	20
5–	केशवपुरम योजना कानपुर	–	06
6–	मझोला विस्तार योजना, मुरादाबाद	–	04
7–	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद	–	06
		कुल	42 नग

तदानुसार यह आदेशित किया जाता है कि वृन्दावन योजना, लखनऊ एवं कानपुर योजना संख्या–1 एवं 3 में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कमशः तीन तथा छः माह के अन्दर प्रारम्भ करा दिया जाय । उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार अंकित योजनाओं में कूडा संग्रह भवनों का प्राविधान लेआउट में कराते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर मद से निर्माण तीन माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय। इन कूडा संग्रह भवनों से कूडे का डिस्पोजल नगर

Refer to process no. Misclleneous	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

निगम/नगरपालिका द्वारा चिन्हित किये गये लैण्डफिल में आवश्यकतानुसार ट्रकों/ट्रालियों से किया जाय । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित नगर निगम/नगरपालिका से अनुमति प्राप्त कर ली जाय । सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट पर होने वाले व्यय का प्राविधान योजना के भूमि मूल्यॉकन में कर लिया जाय ।

Refer to process no. Misclleneous	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E.	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/ 27
	विषयः परिषद योजनाओं में विकास सेवाओं के लिए जनसंख्या घनत्व का निर्धारण ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	15-10-2004
		Page 1	

उ0 प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 (यथा संशोधित 20.11.2002 तक) जो परिषद में भी लागू है, में दो मंजिले के स्थान पर तीन मंजिलें आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है । इसके अतिरिक्त योजनाओं की जनसंख्या के आंकलन हेतु विभिन्न साइज के भूखण्डों की ली जाने वाली आवासीय इकाईयों की संख्या में भी वृद्धि की गयी है । इस कारण परिषद योजनाओं की ट्रंक विकास सेवाओं विशेष रूप से जलापूर्ति एवं सीवरेज सिस्टम की परिकल्पना हेतु वर्तमान में लिये जा रहे जनसंख्या घनत्व में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है, ताकि भविष्य में सभी परिषद योजनाओं में निर्धारित मानकों के अनुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके ।

परिषद अधिकारियों की एक तकनीकी समिति ने परिषद येाजनाओं की जलापूर्ति एवं सीवरेज की परिकल्पना के लिए सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त मत व्यक्त किया गया है कि जनसंख्या की गणना भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 (यथा संशोधित 20.11.2002 तक) के प्रभार रहित इकाईयों के आधार पर करते हुए परिषद योजनाओं की ट्रंक विकास सेवाओं की परिकल्पना की जाय। इस सन्दर्भ में विभिन्न ले–आउट्स के अध्यन से विदित हुआ है कि प्रभार रहित इकाइयों के आधार पर औसत सेक्टोरल घनत्व लगभग 600 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर आता है । तद्नुसार तकनीकी समिति द्वारा सामान्तः 600 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर की सेक्टोरल जनसंख्या मानते हुए विभिन्न सेवाओं हेतु परिकल्पना किये जाने की संस्तुति की गयी है, ताकि योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके तथा परिषद योजनाओं की सेवायें रख–रखाव हेतु स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करने के समय कोई समस्या न हो ।

अतः समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह आदेश दिये जाते हैं कि भविष्य में परिषद येाजनाओं में ट्रंक विकास सेवाओं की परिकल्पना सामान्यतः 600 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर जनसंख्या घनत्व के आधार पर की जाय । परन्तु यदि किसी नगर विशेष के मास्टर प्लान में निर्धारित जनसंख्या घनत्व उक्त निर्धारित जनसंख्या घनत्व से प्रस्तावित होती है अथवा किन्हीं कारणोवशः सेक्टर विशेष के ले–आउट्स में 600 से अधिक जनसंख्या घनत्व (प्रभार रहित इकाइयों को आधार पर) प्रस्तावित होता है तो उसकी विकास सेवायें दोनों में से अधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर परिकल्पित की जाये तथा सैक्टर की विकास सेवाओं की परिकल्पना उपविधि 2000 के प्रभार रहित इकाईयों के आधार पर जनसंख्या घनत्व आगणित करते हुए की जाये ।

Refer to process no. Miscleneous	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E./C.A.P./ Adl.H.C.	H.C.

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/28
	विषयः रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन देने विषयक ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.11.2004
		Page	1 of 1

रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन देने विषयक शासनादेश संख्या–१७६०/९–आ–१–०४–१७/विविध–०३ दिनांक २९–७–२००४ (प्रति संलग्न) द्वारा मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन के आदेश के क्रम में एतद्द्वारा निम्नानुसार आदेश दिये जाते हैं :–

१– परिषद योजनाओं में प्रस्तावित कार्यालय भवनों, कम्यूनिटी सेन्टर आदि में रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भवन के मानचित्र एवं विस्तृत प्राक्कलन में प्राविधान किया जाय ।

२– परिषद द्वारा डिपाजिट के कार्य जिसमें सरकारी भवन सम्मिलित है, में भी रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाये जाने का प्राविधान भवन डिजाइन में करते हुए आगणन में इस मद के अन्तर्गत आवश्यक वित्तीय प्राविधान प्रस्तावित कराये जायं ।

३– रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स के डिजाइन एवं अधिष्ठापन में केन्द्रीय भू–जल परिषद तथा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग का तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

४– सरकारी भवनों में रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के अधिष्ठापन में वित्त पोषण हेतु यथासंभव केन्द्रीय भू–जल परिषद द्वारा अनुमन्य अनुदान का उपभोग किया जाय। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर परिषद के अवस्थापना विकास निधि (इन्फास्ट्रक्चर फण्ड) से भी नियमानुसार वित्त पोषण की व्यवस्था की जा सकती हैं।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

Refer to process no. UPHDB/ENG/20	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E./C.A.P./Adl.H.C	H.C

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/29
	विषयः परिषद प्रयोगशालाओं को एन०ए०बी०एल० से प्रमाणित किये जाने के सम्बन्ध में ।	Revision No.:	00
		Effective Date:	05-10-2004
		Page 1.	

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–22, गाजियाबाद द्वारा परिषद की मुख्य प्रयोशालाओं को N.A.B.L (National Accreditation Board for Testing and Laboratories) से प्रमाणित कराने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष में प्रथम चरण में उप निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ, गाजियाबाद की प्रयोगशाला को N.A.B.L से प्रमाणित कराने के आदेश दिये जाते हैं। यदि इसका परिणाम/प्रभाव अच्छा आता है तो अन्य प्रयोशालाओं को भी N.A.B.L से प्रमाणित कराने पर विचार किया जायेगा।

प्रथम चरण में उप निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ, गाजियाबाद की प्रयोगशाला को N.A.B.L से प्रमाणित कराने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही हेतु आदेश दिये जाते हैं :–

1– इस व्यवस्था के लिए I.I.Q.M , जयपुर में N.A.B.L के माध्यम से संचालित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्बन्धित प्रयोगशाला के अधिकारी एवं तकनीकी सहायक भाग लेंगे ।

2– आवश्यक प्रशिक्षण के पश्चात् प्रश्नगत प्रयोगशाला को सुव्यवस्थित करते हुए N.A.B.L से प्रमाणित कराया जायेगा ।

3– प्रश्नगत प्रयोगशाला को N.A.B.L से प्रमाणित कराने, प्रशिक्षण प्राप्त कराने आदि के लिए श्री, उमेश मित्तल, उप निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ, गाजियाबाद को **नोडल अधिकारी** नामित किया जाता है। वे इस सम्बन्ध में N.A.B.L एवं परिषद के सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए उप निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ, गाजियाबाद की प्रयोगशाला को N.A.B.L से प्रमाणित कराते हुए प्रमाण पत्र प्रम्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
2– निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर,लखनऊ।
3– अधीक्षण अभियन्ता,सप्तम् वृत्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
4– उप निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–22 उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद ।
6– निदेशक, एम0डी0सी0.उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।

Refer to process no. Miscl1eneous	Prepared by	Reviewed by		Approved by
	S.E.(P)	C.E	Adl.H.C.	H.C.

	OFFICE ORDER	Document No.:	UPHDB./OO/ENG/ 30
	विषय: परिषद द्वारा जिला एवं तहसील मुख्यालय नगरों में आवासीय कमी के सर्वेक्षण पर प्राप्त रिपोर्ट के कियान्वयन हेतु कार्ययोजना	Revision No.:	00
		Effective Date:	24.12.2004
		Page	1 of 1

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कमी के आंकलन हेतु परिषद द्वारा एन0सी0आर0 परिक्षेत्र एवं सेन्ट्रल परिपेक्ष में तहसील स्तर तक के नगरों हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया है । प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार एन0सी0आर0 परिक्षेत्र के कुल 25 नगरों में से प्राथमिकता के आधार पर 13 नगरों का चयन किया गया है जिसमें 969307 भवन बनाये जाने होगें तथा उनके लिए लगभग 14813 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी । सर्वेक्षणकर्ता मेसर्स ए0सी0नेल्सन, ओ0आर0जी0 मार्ग द्वारा अवशेष 12 नगरों में फिलहाल "वेट एण्ड वाच" करने की सलाह दी गई है ।

इसी प्रकार सेन्ट्रल परिक्षेत्र के अन्तर्गत किये गये 25 नगरों के सर्वेक्षण में से प्राथमिकता के आधार पर कुल 13 नगरों का चयन किया गया है जिसमें 663837 भवन बनाये जाने होगें तथा उनके लिए लगभग 9343 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी । सर्वेक्षणकर्ता मेसर्स राइट्स द्वारा शेष 12 नगरों फिलहाल "वेट एण्ड वाच" करने की सलाह दी गई है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट (परिशिष्ट–1) के आधार पर चयनित प्राथमिकता के नगरों में भूमि अर्जन की कार्यवाही तथा भवन/भूखण्ड निर्मित एवं विकसित करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना (परिशिष्ट–2) के अनुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करने हेतु एतद्द्वारा आदेश दिये जाते है ।

संलग्नक:परिशिष्ट–1 एवं 2

Refer to process no. UPHDB/ENG/17	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	S.E.(P)	C.E./Addl.H.C.	H.C

ACTION PLAN TO MEET HOUSING DEMAND UPTO 2013

(AS PER HOUSING SURVEY OF NCR AND CENTRAL ZONE OF U.P.)

S.NO	DESCRIPTION	PROPOSED ACTION	RESPONSILITY	TARGET DATE
1	Notification of town	1. Identification of town	CAP	20.12.04
		2. Detailed proposals for identification		20.12.04
		3. Sending to Govt. for seeking approval		20.12.04
		4. Seeking approval		15.01.05
2	Land acquisition	1. Survey of local area	Concerned EE/SE	15.01.05
		2. Selection of site	Concerned EE/SE	
		3. Preparation of LA proposal	Concerned EE/SE	
		4. Forwading to HO for higher level selection committee	Concerned SE	20.01.05
		5. Inspection and recommendation of selection committee	Concerning SE	15.02.05
		6. Approval of proposal by board	EE(land)/Secy.	15.03.05
		7. Publication of notice u/s 28 of Parishad Adhiniyam and other land acquistion activities as per Act. Upto getting possesion of land	EE (land)	30.03.05 to 30.03.07
3	Preparation of TLP/ Layout plan	Receiving survey plan and preparaing TLP/LOP	Concerning AP/CAP	30.09.07
4	External development works	1. Design of head works and Trunk services	Concerning EE/SE (Design)	31.12.07
		2. Laying of Trunk services	Concerning EE/SE	30.06.08
5	Internal Dev.works	1. Design of Internal Devlp. Works	Concerning EE/SE (Design)	30.03.08
		2. Laying of Internal Devlp. Works	Concerning EE/SE	31.12.08

ACTION PLAN TO MEET HOUSING DEMAND UPTO 2013

(AS PER HOUSING SURVEY OF NCR AND CENTRAL ZONE OF U.P.)

S.NO	DESCRIPTION	PROPOSED ACTION	RESPONSILITY	TARGET DATE
6	Registration	Identification of Properties & opening of Registration	Concerning EE/Jt.HC	31.03.09
7	Obtaining AA, TS & FS	Preparation of DPR & getting approval	Concerning EE/SE	30.04.09
8	Execution of work	1. Preparation of Tender Documents	Concerning EE/SE	31.12.09
		2. Inviting & opening Tender	Concerning SE	
		3. Approval of Tender & preparation of aggrement	Concerning EE/SE	
		4. Execution of Works	Concerning EE/SE	
9	Allotment	1. Offer of property	Concerning EE/SE	31.01.10
		2. Allotment & possession	Concerning EMO/Jt.HC/EE	28.02.10

उ0प्र0आवासएवं विकास परिषद द्वारा जिला एवं तहसील मुख्यालय नगरों में आवासीय कमी का सर्वेक्षण

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कमी के आंकलन हेतु उ0प्र0 शासन के द्वारा अपेक्षा की गयी है कि तहसील स्तर तक के नगरों हेतु एक सर्वेक्षण उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद द्वारा करा लिया जाये । प्रदेश में 670 नगरीय क्षेत्र है जिसमें श्रेणी–1 (एक लाख से अधिक जनसंख्या) के 55 नगर, श्रेणी–2(50000 से 99999) के 51 नगर, श्रेणी–3 (20000 से 49999) के 171, श्रेणी–चतुर्थ (10000 से 19999) के 253 नगर, श्रेणी–5 (5000 से 9999 तक) के अर्न्तगत 130 नगर तथा श्रेणी–6 (पॉच हजार से कम) के 10 नगर है । वर्तमान में सभी बड़े एवं छोटे शहर आवासीय कमी की समस्याओं से गुजर रहे हैं । कय क्षमता एवं बदलते भौतिक स्थितियों के कारण यह समस्या गम्भीर होती जा रही है । यह सर्वविदित है कि सभी को छत एवं आश्रय प्रदान करना परिषद का प्रमुख दायित्व है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उ0प्र0 के विभिन्न नगरों में आवासीय इकाईयों की वास्तविक मांग के अध्ययन हेतु एक पहल की गयी है । इस अध्ययन हेतु निम्न 5 बिन्दु निर्धारित किये गये थे ।

1– वर्तमान से वर्ष 2013 तक प्रस्तावित आवासीय कमी का आंकलन ।
2– अगले 10 वर्षो हेतु वार्षिक आवासीय मांग ।
3– आर्थिक वर्गो के आधार पर जैसे गरीबी रेखा से नीचे, दु0आ0व0,अल्प आय व0, मध्यम आ0व0 एवं उच्च आय वर्ग के भवनों का आंकलन ।
4– प्रस्तावित इकाई हेतु उसका मूल्य एवं विशिष्टियों का समावेश ।
5– भूमि की आवश्यकता चरणबद्ध एवं सिटी मैप/मास्टर प्लान के अनुसार स्थल चयन ।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि सर्वेक्षण कार्य प्रदेश के समस्त तहसील स्तरीय नगरों हेतु कराया जाना है जिसके लिए प्रदेश को निम्न चार परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया ।

1– एन0सी0आर0 परिक्षेत्र
2– सेण्ट्रल परिक्षेत्र
3– पूरबी परिक्षेत्र
4– पश्चिमी परिक्षेत्र

प्रथम चरण में जिन दो क्षेत्रों - एन.सी.आर. तथा मध्य क्षेत्र को सर्वेक्षण हेतु चयनित किया गया है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह वह क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रथम दृष्टया रूप में आवासीय गतिविधियाँ अत्यधिक तीव्रगति से हो रही है तथा यहाँ पर आवासिकी की मांग की प्रतिपूर्ति उच्च प्राथमिकता पर किया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ है। एन.सी.आर. तथा मध्य क्षेत्र के जिन 25-25 नगरों को चयनित किया गया है उनकी सूची क्रमशः अनुलग्नक-1 व 2 पर संलग्न है। इस सूची में जिला मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय नगरों को सम्मिलित किया गया है।

उक्त दोनों क्षेत्रों में आवासीय मांग का सर्वेक्षण कराने के कार्य को निविदा के माध्यम से एन.सी.आर. क्षेत्र के लिए मेसर्स ए.सी. नेलसन, ओ.आर.जी. मार्ग, नई दिल्ली नामक एक अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था तथा सेण्ट्रल जोन के लिए मेसर्स राईट्स लि. नामक भारत सरकार की एक बहुउद्देशीय संस्था को सौंपा गया।

एन.सी.आर. नगर

मेसर्स ए.सी. नेलसन, ओ.आर.जी. मार्ग द्वारा किया गये सर्वेक्षण के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

- सर्वेक्षण हेतु शहरों को जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।
  - प्रथम श्रेणी के नगर - एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 06 नगर
  - द्वितीय श्रेणी के नगर - पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले 09 नगर

तृतीय श्रेणी के नगर – पचास हजार से कम जनसंख्या वाले 09 नगर

- प्रथम श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग तथा वांछित भूमि हेतु निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हे0)
1	मेरठ	64,623	969
2	गाजियाबाद / लोनी (दोनों नगरों की Clubing की गयी है)	6,99,499	8,873
3	हापुड़	52,718	998
4	मोदीनगर	13,023	367
5	बुलंदशहर	22,264	675
	कुल	8,52,127	11,882

- उक्त नगरों में मुख्य मांग मध्यम एवं अल्प आय वर्ग भवनों की है जिसका अनुपात कुल मांग का 60 से 70 % है ।
- दुर्बल आय वर्ग की मांग 17 से 20 % है ।
- इन नगरों में पब्लिक हाऊसिंग का शेयर वर्तमान समय में 4% है जो भविष्य में बढ़कर 8 से 10% होना सम्भावित है ।
- निजी क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में 2% है जो भविष्य में बढ़कर 7% होना सम्भावित है ।
- उल्लेखनीय बिन्दुं यह है कि उक्त सभी नगरों में आगामी 10 वर्षो में 4 से 5% हाऊस होल्ड अपनी वर्तमान श्रेणी से उच्च श्रेणी में शिफ्ट होने सम्भावित है ।

- द्वितीय श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हे0)
1	बढौत	12,448	249
2	दादरी	17,842	400
3	खुर्जा	19,469	487
4	सिकंदराबाद	13,974	395
5	मवाना	16,482	623
6	मुरादनगर	13,462	383
	कुल	93,677	2,537

- उक्त नगरों में मुख्य मांग मध्यम एवं अल्प आय वर्ग भवनों की है जिसका अनुपात कुल मांग का 65 से 70% है।
- दुर्बल आय वर्ग की मांग 20% है।
- इन नगरों में पब्लिक हाऊसिंग का शेयर वर्तमान समय में शून्य है जो वर्ष 2013 तक 7% होना सम्भावित है।
- निजी क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में शून्य है जो वर्ष 2013 तक 7% सम्भावित है।
- उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि उक्त सभी नगरों में 10 वर्षों में 2 से 3 हाऊस होल्ड अपने वर्तमान श्रेणी से उच्च श्रेणी में शिफ्ट हो सकते हैं।

- तृतीय श्रेणी के नगरो में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हे0)
1	बागपत	16142	267
2	सरधना	7361	127
	कुल	23503	394

- उक्त नगरों में मुख्य मांग अल्प एवं दुर्बल आय वर्ग भवनों की है जिसका अनुपात कुल मांग का 70% है ।
- इन नगरों में पब्लिक हाउसिंग का शेयर वर्तमान समय में शून्य है जो वर्ष 2013 तक 10% होना सम्भावित है ।
- निजी क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में शून्य है जो वर्ष 2013 तक 2 % होना सम्भावित है ।
- उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि उक्त सभी नगरों में 10 वर्षो में 2 से 4 % हाउस होल्ड अपने वर्तमान श्रेणी से उच्च श्रेणी में शिफ्ट हो सकते है ।

उपरोक्तानुसार कुल 25 नगरों में से प्राथमिकता के आधार पर चयनित उक्त 13 नगरों में कुल 9,69,307 भवन बनाये जाने होगें जिसके लिए कुल 14,813 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी । सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अवशेष 12 नगरों में फिलहाल वेट एण्ड वॉच करने की सलाह दी गयी है ।

मध्य क्षेत्रीय नगर

मेसर्स राईट्स द्वारा मध्य क्षेत्र के अर्न्तगत 25 नगरों में आवासीय मांग का सर्वेक्षण किया गया । जिनके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

- सर्वेक्षण हेतु शहरों को जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है
  - प्रथम श्रेणी के नगर – एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 02 नगर
  - द्वितीय श्रेणी के नगर– पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले 12 नगर
  - तृतीय श्रेणी के नगर – पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले 11 नगर

- **प्रथम श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :-**

क्र.सं.	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुछ वांछित भूमि (हे.)
1.	लखनऊ	2,88,866	3,873
2.	कानपुर	2,38126	3,515
	कुल	5,26,992	7,388

- उक्त नगरों में गरीबी रेखा से नीचे वर्ग भवनों की मांग 28% है।
- दुर्बल आय वर्ग की मांग 14% है।
- अल्प तथा मध्यम एवं उच्च आय वर्ग भवनों की मांग 41% है।
- इन नगरों में पब्लिक हाऊसिंग का अनुपात कुल मांग का 50% होना सम्भावित है।

- द्वितीय श्रेणी के नगरों में आवासीय मांग के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

क0सं0	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हे0)
1	झांसी	26,621	358
2	बांदा	18,009	241
3	रायबरेली	16,310	220
4	लखीमपुर	13,446	198
5	ओरई	14,589	213
6	सीतापुर	11,837	173
7	इटावा	14,242	211
	कुल	**1,12,649**	**1,614**

- उक्त नगरों में गरीबी रेखा से नीचे वर्ग भवनों की मांग 38% है ।
- दुर्बल आय वर्ग की मांग 15% है ।
- अल्प तथा मध्यम एवं उच्च आय वर्ग भवनों की मांग 36% है ।
- इन नगरों में पब्लिक हाऊसिंग का अनुपात कुल मांग का 59% होना सम्भावित है ।

क0सं0	आवासीय मांग के आधार पर प्राथमिकतावार नगर का नाम	कुल आवासीय मांग	कुल वांछित भूमि(हे0)
1	महोबा	6,782	99
2	गोलागोकरननाथ	3,789	48
3	चित्रकूटधाम	3,481	46
4	मऊ रानीपुर	3,080	45
5	जालौन	2,827	41
6	कन्नौज	4,237	62
	कुल	**24,196**	**341**

- उक्त नगरों में गरीबी रेखा से नीचे वर्ग भवनों की मांग 38% है तथा मध्यम एवं उच्च आय वर्ग भवनों की मांग 45% है ।
- दुर्बल आय वर्ग की मांग 16% है ।
- इन नगरों में पब्लिक हाऊसिंग का अनुपात कुल मांग का 61% होना सम्भावित है ।
- छोटे,मध्यम तथा बड़े नगरों में मांग का प्रतिशत क्रमशः 4.4%,22.2% तथा 73.4% ऑका गया है ।

उपरोक्तानुसार कुल 25 नगरों में से प्राथमिकता के आधार पर चयनित उक्त 13 नगरों में कुल 6,63,837 भवन बनाये जाने होगें जिसके लिए कुल 9,343 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी । सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अवशेष 12 नगरों में फिलहाल वेट एण्ड वॉच करने की सलाह दी गयी है ।

अनुलग्नक–1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अर्न्तगत निर्धारित नगर

क0सं0	शहर	जनसंख्या
1	मेरठ	1074229
2	गाजियाबाद	968521
3	नोयडा	293908
4	हापुड़	211987
5	बुलन्दशहर	17625
6	मोदीनगर	112918
7	लोनी	120659
8	खुर्जा	98403
9	बेहटा हाजीपुर	94414
10	बड़ौत	85822
11	मुरादनगर	74082
12	सिकंन्दराबाद	69902
13	मवाना	69199
14	पिलखुआ	67191
15	दादरी	57457
16	जहॉंगीराबाद	51369
17	सरधना	47970
18	खेखड़ा	40380
19	सैना	39033
20	बागपत	36365
21	ढिबाई	34853
22	गढमुक्तेश्वर	33432
23	शिकारपुर	33130
24	जेवर	26950
25	अनूपशहर	23676

अनुलग्नक–2

मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित नगर

क0सं0	शहर	जनसंख्या
1	लखनऊ	2266933
2	हरदोई	112474
3	लखीमपुर	120566
4	रायबरेली	169285
5	सीतापुर	151827
6	उन्नाव	144917
7	काल्पी	42858
8	कानपुर	2690486
9	इटावा	211460
10	फर्रूखाबाद	242558
11	कन्नौज	71530
12	औरेया	64598
13	छिबरामऊ	50279
14	फतेहपुर	151757
15	झांसी	463281
16	जालौन	50033
17	ललितपुर	111810
18	ऊरई	64598
19	बांदा	139387
20	महोबा	78806
21	चित्रकूट	48853
22	हमीरपुर	32035
23	अकबरपुर	3889
24	गोला गोकरननाथ	53832
25	मऊ रानीपुर	50886

पत्रांक : /189 / आई.एस.ओ.प्रको. - / /04
दिनांक : 1.3.2004

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

कार्यालय आदेश

परिषद में आई.एस.ओ. व्यवस्था लागू होने के पश्चात यह और भी आवश्यक हो गया है कि कार्य पद्धति को स्पष्ट एवं सुदृढ़ किया जाये। सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि अभियन्त्रण (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक) कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित गाइड लाइन्स स्पष्ट नहीं हैं। अतः इन गाइड लाइन्स को स्पष्ट करने के लिये निम्न आदेश दिये जाते हैं, जो तत्काल से लागू माने जायेगें :

1. उ.प्र. लोक निर्माण विभाग/यू.पी. जल निगम/यू.पी.पी.सी.एल. में सामान्य रूप से निर्माण/विकास कार्यों हेतु निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार विशिष्टियाँ परिषद में मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित की जायेंगी। किसी भी कार्य/सामाग्री की विशिष्टियाँ अनुकूल न पाये जाने अथवा किसी मद विशेष की विशिष्टियाँ उपलब्ध न होने की स्थिति में विशिष्टियों का निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा ही अलग से किया जायेगा। विशिष्टियों की वार्षिक समीक्षा मुख्य अभियन्ता द्वारा की जायेगी, तत्पश्चात यह विशिष्टियाँ प्रत्येक वर्ष प्रसारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार विशिष्टियाँ मुख्य अभियन्ता द्वारा अलग से प्रसारित की जायेंगी।
2. रू. 20,000.00 तक की सीमा के किसी भी निर्माण/विकास कार्य का प्रबंध सहायक अभियन्ता के स्तर से कोटेशन नोटिस निकाल कर किया जायेगा जिसके लिये ठेकेदारों को पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन रू. 20,000.00 से अधिक धनराशि के कार्य का प्रबंध नियमानुसार कोटेशन/निविदा सूचना इत्यादि निकालकर परिषद के साथ-साथ किसी भी अन्य सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से ही कराया जायेगा।
3. रू. 20,000.00 से अधिक धनराशि के कार्यों के लिये निविदा प्रपत्र मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रसारित चेकलिस्ट के अनुसार सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार किये जायेंगे, जिनको अधिशासी अभियन्ता स्तर से परीक्षणोंपरान्त ही बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जायेगा जिससे एकरूपता बनी रहे।
4. निर्माण/विकास कार्यों के अन्तर्गत आवश्यक सामग्रियों को क्रय करने के लिये आपूर्तिकर्ता का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं होगा।

Process No. UPHD/PM/ENG/	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	(S.E. (P)	C.E.	H.C

5. प्रत्येक आपूर्ति/कार्य पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर संलग्न प्रपत्र संख्या UPHDB/PM/FOR/12 पर नियमानुसार अनुबंधकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार की Performance का आंकलन किया जायेगा, जिसकी एक प्रति संबंधित ठेकेदार तथा पंजीकरण करने वाले परिषद के संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. आंकलन के आधार पर ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को 'अ', 'ब' अथवा 'स' ग्रेड दिया जायेगा।

ग्रेडिग करने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :

1. यदि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को निर्धारित प्रोफार्मा पर 7-9 के बीच अंक प्राप्त होते हैं तब वह अ ग्रेड में आंका जायेगा।
2. यदि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को निर्धारित प्रोफार्मा पर 5-7 के बीच अंक प्राप्त होते हैं तब वह ब ग्रेड में आंका जायेगा।
3. यदि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को निर्धारित प्रोफार्मा पर 5 से कम अंक प्राप्त होते हैं तब वह स ग्रेड में आंका जायेगा।

- यदि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को तीन बार 'अ' ग्रेड में आकलित किया जाता है, तो वह अपनी श्रेणी से उच्च श्रेणी का पात्र हो सकता है।
- यदि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को 'ब' ग्रेड में आकलित किया जाता है, तब वह उस श्रेणी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदाओं में भाग लेने के लिये पात्र रहेगा।
- यदि किसी व्यक्ति को 'स' ग्रेड में आकलित किया जाता है, तब उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(वीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिप :

1. समस्त अनुभागाध्यक्ष।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त आवास आयुक्त।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता।
4. एडीशनल एम.आर.।

मुख्य अभियन्ता

	Title : Format for evaluation of performance of Out-Sourced Activity	Document No. : UPHDB./OO/ENG/12
		Revision No. : 01
		Effective Date : 1.3.2004
		Page ....1............ of..........1.......

ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता का नाम :

पता :

पंजीकरण संबंधी आइडेन्टीफिकेशन संख्या :

कार्य का नाम :

अनुबन्धित अवधि :

कार्य पूर्ण करने की वास्तविक अवधिः

आंकलन की तिथि :

S.No.	Parameters	Marks 0-9	Remark if any
1.	Response (प्रति उत्तर)		
	जिज्ञासाओं के संबंध में		
	त्रुटियों में सुधार		
	सामान्य व्यवहार		
2.	समय का अनुपालन		
3.	कार्यकलाप/सेवा		
4.	सुरक्षा मानकों का अनुपालन		
5.	उत्पाद की गुणवत्ता		
6.	योग		
7.	औसत		

You are Categorized under अ/ब/स

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नोट : 1. 0 से 9 अंक दिये जाने हैं तथा मार्किंग 0 से खराब तथा 9 उत्कृष्ट के आधार पर की जायेगी।

2. कुल अंकों को जोड़कर उसका औसत निकाला जायेगा तथा श्रेणी का आंकलन औसत पर किया जायेगा।

Refers to Clause No- ISO 9001: 2000	Prepared By	Approved By
	A.M.R. [signature] SE(P) [signature]	C.E. [signature]

ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता का नाम :
पता :
पंजीकरण संबंधी आइडेन्टीफिकेशन संख्या :
कार्य का नाम :
अनुबन्धित अवधि :
कार्य पूर्ण करने की वास्तविक अवधिः
आंकलन की तिथि :

S.No.	Parameters	Marks 0-9	Remark if any
1.	Response (प्रति उत्तर)		
	जिज्ञासाओं के संबंध में		
	त्रुटियों में सुधार		
	सामान्य व्यवहार		
2.	समय का अनुपालन		
3.	कार्यकलाप/सेवा		
4.	सुरक्षा मानकों का अनुपालन		
5.	उत्पाद की गुणवत्ता		
6.	योग		
7.	औसत		

You are Categorized under अ/ब/स

हस्ताक्षर :
दिनांक :

नोट : 1. 0 से 9 अंक दिये जाने हैं तथा मार्किंग 0 से खराब तथा 9 उत्कृष्ट के आधार पर की जायेगी।

2. कुल अंकों को जोड़कर उसका औसत निकाला जायेगा तथा श्रेणी का आंकलन औसत पर किया जायेगा।

Refers to Clause No- ISO 9001: 2000	Prepared By	Approved By
	A.M.R. [signature] SE(P) [signature]	[signature] C.E.

Eng After 30/2

आई०एस०ओ०

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ

संख्याः M-47/अभि०अनु०(मानी०) 15/ दिनांकः

कार्यालय आदेश

दिनांक 15 एवं 16.11.03 को 'ग्राहक सन्तुष्टि सुधार' के विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी थी जिसमें निर्धारित ब्रान्ड की सामग्री ही निर्माण एवं विकास कार्यों में उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

निर्माण एवं विकास कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के ब्रान्ड निर्धारित करने हेतु निदेशक, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन्स एवं कन्सलटेन्सी सेल, निदेशक,गुण नियन्त्रण कोष्ठ एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वृत्त की समिति गठित की गयी थी।

समिति द्वारा प्रस्तावित निर्माण एवं विकास सम्बन्धी सामग्रियों की ब्रान्ड/मेक अनुमोदित की जाती है। भविष्य में निर्माण एवं विकास कार्यों में अनुमोदित ब्रान्ड/मेक की ही सामग्रियां निर्माण एवं विकास कार्यों में प्रयोग की जायेंगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे ।

भवदीय,

(विद्या नन्द गर्ग)
आवास आयुक्त

सं० 919 /उक्त/ दिनांक 25.2.04

प्रतिलिपि अनुमोदित ब्रान्ड/मेक की लिस्ट संलग्न करते हुए निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/अपर आवास आयुक्त, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ।
2– मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/वित्त नियन्त्रक, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ।
3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ।
4– समस्त संयुक्त आवास आयुक्त, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ।
5– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

मुख्य अभियन्ता

AE(M)I

LIST OF APPROVED BRANDED BUILDING MATERIALS

1- All Branded Materials will be ISI Marked of approved Quality.
2- All materials will be purchased from Manufactures/ handling agent /Dealers only.
3- If approved branded material not available, S.E. is authorised to purchase any other brand of material following the recommendation of committee of minimum two E.E

S.No.	Name of Materials	Approved Brand/ Make
1	2	3
1-	Cement White Cement	ACC, J.P Rewa, Birla,Diamond, Ambuja cement, Shree, Prism, Maihar (I.S.I. Marked of approved quality) J&K White, Birla White (I.S.I marked)
2-	Structural Steel	TATA, Sail,Alloyd Metal, Rathi, Barnala,RHL,Premier, Kamdhenu, Anjani Steels (I.S.I. Marked of approved quality)
3-	GLUE	Fevicol, Bermicol,Pidilite,Donlop, Vanorganies, CICO (I.S.I. Marked of approved quality)
4-	(a) A.C.C. sheet (b) G.I. sheet	UPAL, CHARMINAR. A.C.C. (I.S.I. Marked of app.qtly) TATA, Trishul,Jindal, Bhushan,Usha. (I.S.I. Marked of approved quality)
5-	Bitumen & Coal Tar	Indian Oil, Hindustan Pertoleum, Bharat Petroleum, Salimar tar Products (I.S.I. Marked of approved quality)
6-	Boards	Novapan, Ecoboard, Bhutan Board Duro, National, Kit, Woodcraft, Samrat (I.S.I. Marked of approved quality)
7-	Water Proofing Compounds	Impermo, Mec,Duraseal, Acco-Proof, CICO,Pidi-Proof (I.S.I. Marked of approved quality)
8-	Polymer Modified Cementation Coating	Armourcreate/ Tapecrete (I.S.I. Marked of approved quality)
9-	Distemper	Berger, Johnson & Nicholson, Asian Paints, Shalimar Paint (I.S.I. Marked of approved quality)
10-	Water Proofing Cement Paint	Snowcem Plus,Asian,Berger,Nitcocem, Sandtex, Pentuco, Nitcotex (I.S.I. Marked of approved quality)
11-	Hydraulic Door Closer	Eddy, Mytel, Gazel (I.S.I. Marked of approved quality)
12-	Anodised Alum. Fittings	ISI : Marked of approved Quality
13-	Brass Fittings	ISI : Marked of approved Quality
14-	Chromium Plated Fittings (Brass)	ISI : Marked of approved Quality
15-	Oxidised Mild Steel Fittings	ISI : Marked of approved Quality
16-	Oxidised M.S Hinges Finished with Nickle Plating	ISI : Marked of approved Quality
17-	Mild Steel Fittings Finished or Black Enamelled	ISI : Marked of approved Quality
18-	Stainless Steel Fittings	ISI : Marked of approved Quality
19-	Flush Doors Block, Board/Shutters	Nova Pan, Ecoboard, Butan Board, Swastic wood Craft National, GEE (I.S.I. Marked of approved quality)
20-	PVC Door Shutters & Frames	Sintex or Plasopan, M/s Raj Shri or equivalent (I.S.I. Marked of approved quality)
21-	Flat Glass	Atul, Modi Guard Saint Grobain or equivalent app. Quality
22-	Paints / Primer /Pigments / Cement Primer	Berger, Johnson & Nicholon, Asian Paint, Shalimar Paint,Narolac (ISI : Marked of approved Quality)
23-	Ceramic Glazed Tiles	NITCO, ORIENT,SOMANY, KAJARIA, Bell, Romano Sonara, Johnson (ISI : Marked of approved Quality)
24-	Textured Exterior Paint	Sandtex Matt ,Syntex, Apex ,Neortex, Niteotex,Colourtex (ISI : Marked of approved Quality)
25-	Acrylic Smooth Exterior Paint	TRUMP of M/s Snowcem India Ltd. or equivalent (I.S.I marked)

List of building-20-01-04

No.	Name of Materials	Approved Brand/ Make
	2	3
26-	Premium Acrylic, Smooth Exterior Paint	Snow Cryl- XT of M/s Snowcem, India Ltd. or equivalent (I.S.I. marked of approved Qty)
27-	Delux Multi Surface Paints	Uni- Glosss of M/s Snowcem India, Ltd. or equivalent (I.S.I. marked)
28-	White Vitreous China Wares	Parryware/ Hindware, Seabird, Orient, (Coral), Heycer,Classic, Johnson, Padder, Cera (ISI : Marked of approved Quality)
29-	Low Level PVC Flushing Cistern	Parryware, Hindware, Seabird/Orient,'(Coral), Commender, Cera, Alpine (ISI : Marked of approved Quality)
30-	Solid Plastic Seat & Lid	Parryware, Hindware, Seabird/Orient, '(Coral),ESSLO,Commender, Diplomate, Bistalite, Patel (ISI : Marked of approved Quality)
31-	C.P. Brass Fittings	ESS- ESS, Dripless, Delta, Lotus (I.S.I. Marked)
32-	C.P. Brass Pillar Tap	Kingston, Gem, Techno, Parko, Jaquar, ARK, MARC, Plumber,L & K' (ISI : Marked of approved Quality)
33-	**Kitchen Sink** (i) Steel	Salem Stainless Steel ,Cobra, Neelkhanth, AMC, Nirali, Diamand. (ISI : Marked of approved Quality)
34-	Bevelled Edge Mirror	Atul, Modi Guard Patel, Diomond (ISI : Marked of approved Quality)
35-	Sand Cast Iron Pipe	NECO, HEP, BENGAL,AVON, BC, RIF, Hepco (ISI : Marked of approved Quality)
36-	Cast Iron Spun pipe	Kesoram, Electrosteel,Hindustan.(ISI : Marked of approved Quality)
37-	G.I. Pipes and Fittings	TATA, Surya, Jindal, QTS, GST, NMC, KS, UNIK (ISI : Marked of approved Quality)
38-	C.P. Brass Fittings	Gem, Mikado,Encoss's, Williams (ISI : Marked of approved Quality)
39-	Ductile Iron Pipes & Specials	(ISI : Marked of approved Quality)
40-	S&S Centrifugally (Spun) Cast Iron Pipe	(ISI : Marked of approved Quality)
41-	S&S C.I. Standard Specials (Tee, Bend, Collar.&Cap etc. (i) For Fanged Jointing) (i) For Machinical Jointing)	(ISI : Marked of approved Quality)
42-	Rubber Gasket	(ISI : Marked of approved Quality)
43-	Centrifugally (Spun) Cost Iron Pipe (Double Flanged)	(ISI : Marked of approved Quality)
44-	C.I. Sluice Valve, Fire Hydrant & Fixture	Leader, Suraj, Sant, Zalota, Burn (ISI : Marked of approved Quality)
45-	Polythylene Water Storage Tank ISI: 12701 Marked	Sintex , Electroplast, Star, Lotus (ISI : Marked of approved Quality)
46-	Water Meter (Bulk Type)	(ISI : Marked of approved Quality)
47-	**DRAINAGE** Stone Ware pipe Grade "A"	Perfect, Mahakaushal, Swastic, Anil (ISI : Marked of approved Quality)
48-	S.W. Gully Trap Grade "B"	(ISI : Marked of approved Quality)
49-	R.C.C. Pipe	(ISI : Marked of approved Quality)
50-	C.I. Cover (Light Duty, Midium Duty & heavy Duty)	(ISI : Marked of approved Quality)

AE

List of building-20-01-04

24.1.04

No.	Name of Materials	Approved Brand/ Make
1	2	3
	INTERNAL ELECTRIFICATION WORKS M.S. Conduit Pipe	NCT, BEC,KT, MONARCH & other ISI marked
	PVC conduit pipe	CAP,PARAFLEX, AVADHPOLYTUBE & other ISI marked
	Coper wire/cable	National, Kailash, Windsor, ECKO, Grandlay, ECI, Paragon, Midlite, NICCO, Kinjal,Empire,SEIKO,REICO, BONTON PREMIER, PYMEN, TALBRO,KALINGA, PLAZA, TRIMURTI, SUNRISE, other ISI marked
	Switches & Accessories	FINE, & FINEX,ANTEX, CHAIN, KINJAL,EMPEROR, POWERKING, GURU,SSK, ALLWYN,CPL,MAGIC, ANCHOR, CPL (GENIUS), other ISI Marked
	Luminaries	PHILIPS, BAJAJ, CROMPTON, TWINKLE, GLOLITE, PRIMA, INDOLITE,ME,UNILITE,POLE-STAR ANSHU,KESLEC, K-LITE, other ISI marked
	MCB,MCCB & ISOLATORS	Bentex Linger, clariton,Ergon, Havells, Indo Kopp, Kenbar, Loadster,lupus, Montel, Punjab Telefunken, R.C., Sputnik,INDOKOPP, Neptune,GECO, Protect-25, Load contact,Tripstr, Brite,Sigma
	M.S. Boxes	Should be Galvanized
	BAKALITE SHEET	HYLEM, FORMICA
	FAN/EXHAUST FAN	BAJAJ, CROMPTON,KHAITAN, USHA,GEC.

24/1/04
...stant Engineer
...struction & Consultancy-C...
...sing & Development Board
...Complex Indira Nagar
LUCKNOW

M.P. Vasil
C.E. & C.G.

निदेशक

निदेशक 24/1/04

List of building-20-01-04